राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seiaacg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 10/10/2019 को संपन्न 296वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

----00----

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 296वीं बैठक श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन की अध्यक्षता में दिनांक 10/10/2019 को संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:–

1. डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. डॉ. एम.डब्ल्यु.वाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: दिनांक 17/09/2019, 18/09/2019 एवं 19/09/2019 को संपन्न क्रमशः 293वीं, 294वीं एवं 295वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 17/09/2019, 18/09/2019 एवं 19/09/2019 को संपन्न क्रमशः 293वीं, 294वीं एवं 295वीं बैठक हुई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

11/10/19

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: दिनांक 26/09/2019 तक प्राप्त नवीन आवेदनों का परीक्षण कर प्रस्तुतीकरण हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल्स, (प्रो.– निलेश कुमार महोबिया), ग्राम–मुढ़िया, तहसील–डौण्डीलोहारा, जिला–बालोद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 841)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 34800/2019, दिनांक 19/04/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 30/05/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 12/09/2019 को ऑफलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मुढ़िया, तहसील–डौण्डीलोहारा, जिला–बालोद स्थित खसरा क्रमांक 304, 305, 302(पार्ट), 306(पार्ट) एवं 307(पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 0.58 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र एवं जानकारी – परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लेग स्टोन खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र एवं जानकारी प्रस्तुत की गई है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुढ़िया का दिनांक 22/12/2010 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान ऑफ मुढ़िया फ्लेग स्टोन क्वारी प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 155/खनि लि./खनिज/2018, दिनांक 03/02/2018 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 358/खनि.लि./खनिज/2019 बालोद, दिनांक 19/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
5. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बालोद वनमण्डल, जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक /तक.अधि./न.क्र. 23/2019/5507 बालोद, दिनांक 31/08/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 10.4 कि.मी. की दूरी पर है।
6. निकटतम शहर बालोद 20 कि.मी., शैक्षणिक संस्था एवं अस्पताल ग्राम–भण्डेरा 3 कि.मी., रेल्वे स्टेशन बालोद 19 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 6 कि.मी. दूर है। खरखरा नदी 5.5 कि.मी. दूर है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

8. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 43,519 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 18,150 घनमीटर है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.215 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 7.5 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई लगभग 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,500
द्वितीय	1,500
तृतीय	1,500
चतुर्थ	1,500
पंचम	1,500

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
छटवे	1,500
सातवे	1,500
आठवे	1,500
नौवे	910.89
दसवे	689.14

9. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

10. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा।

11. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 296वी बैठक दिनांक 10/10/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण, तथा **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, ग्राम–पुंजीपथरा, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 957)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 42692/ 2019, दिनांक 17/09/2019।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, ग्राम–पुंजीपथरा, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ स्थित प्लाट क्रमांक 102, कुल क्षेत्रफल – 2.39 हेक्टेयर में स्थापित एम.एस. इंगाट्स/बिलेट्स (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता – 59,400 टन प्रतिवर्ष (2 गुणा 10 टन सीसीएम) से 1,14,642 टन प्रतिवर्ष (3 गुणा 12 टन सीसीएम) के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु परियोजना का विनियोग रुपए 4.95 करोड़ होगा।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 296वीं बैठक दिनांक 10/10/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण, तथा **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. सेन्ट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाये। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. वर्तमान में स्थापित एवं क्षमता विस्तार के तहत् प्रस्तावित ग्राउंड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: **औद्योगिक परियोजना संबंधी प्रकरण की जानकारी / दस्तावेज प्राप्ति उपरांत विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स जगदीश इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–चरोदा, सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र फेज–2 के समीप, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 759)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 89304/ 2018, दिनांक 21/12/2018।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–चरोदा, सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र फेज–2 के समीप, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 143 एवं 144, कुल क्षेत्रफल – 4.09 एकड में बिलेट्स, एम.एस. रोल्ड प्रोडक्ट्स (थ्रू हॉट चार्जिंग सिस्टम) क्षमता – 29,500 टन प्रतिवर्ष से 57,670 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग कुल रुपये 14.78 करोड होगा। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु परियोजना का विनियोग रुपये 7.5 करोड प्रस्तावित है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 265वीं बैठक दिनांक 07/01/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई थी कि पूर्व में प्रस्तुतीकरण हेतु समिति द्वारा उपयुक्त पाए जाने की स्थिति में समिति की दिनांक 08/01/2019 अथवा 09/01/2019 को आयोजित बैठक में परियोजना प्रस्तावक को उपस्थित होने के संबंध में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ के ज्ञापन दिनांक 31/12/2018 द्वारा सूचित किया गया था।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त पत्राचार के आधार पर तथ्यात्मक जानकारियां/दस्तावेज सहित परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु दिनांक 08/01/2019 को उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 266वीं बैठक दिनांक 08/01/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुभाष सिंह, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वॉयरो लेबोरेट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री सुधीर सिंह उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**
   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा बिलेट, एम. एस. री–रोल्ड प्रोडक्ट (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता – 29,500 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 05/02/2018 को जारी की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 30/11/2019 तक है।
   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाई हेतु छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।
2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम–चरोदा 1.3 कि.मी. एवं रायपुर शहर 11.05 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। रेल्वे स्टेशन मांढर 7.5 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन 25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.4 कि.मी. है। खारून नदी 2.05 कि.मी. की दूरी पर है।
- परियोजना स्थल से दक्षिण दिशा की ओर मेसर्स ड्रोलिया इलेक्ट्रोस्टील लिमिटेड 230 मीटर, मेसर्स रश्मि स्पंज ऑयरन एण्ड पॉवर 510 मीटर एवं मेसर्स रामा उद्योग प्राईवेट लिमिटेड 1.15 कि.मी., पश्चिम दिशा की ओर मेसर्स एस.के.एस. इस्पात लिमिटेड 450 मीटर, दक्षिण–पूर्व दिशा की ओर मेसर्स भगवती पॉवर एण्ड स्टील लिमिटेड 1.45 कि.मी. एवं मेसर्स श्री हरिकृष्णा स्पंज ऑयरन लिमिटेड 2.05 कि.मी. की दूरी पर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, छ.ग. के ज्ञापन क्रमांक 2373, दिनांक 24/04/2008 द्वारा विकास अनुज्ञा प्राप्त किया गया।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – कुल कंसट्रक्टेड क्षेत्रफल 1.03 एकड़, रोड का क्षेत्रफल 0.69 एकड़, खुला क्षेत्रफल 0.97 एकड़ तथा हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल लगभग 1.4 एकड है। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 4.09 एकड है।

5. **रॉ–मटेरियल** –

Induction Furnaces		
Raw Material	**Ton / Day**	**Mode of Transportation**
Sponge Iron	175	By road through coverd trucks
Pig Iron / Scraps	52	By road through coverd trucks
Ferro Alloys	2	By road through coverd trucks
Rolling Mill to produce 57,670 TPA Rolled product		
Hot Billets	198	Through Rail

6. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी** –

S.N.	Process Plant	Existing Configuration	Proposed Configuration	After expansion
1.	Induction Furnace Produce to Hot Metal	6 Tons x 2 Nos.	10 Tons x 1 No.	6 Tons x 2 Nos. + 10 Tons x 1 No. Or 59,400 TPA
2.	Rolling Mill Produce to Rolled Products	29,500 TPA (2 Strands)	28,170 TPA (2 Strands)	57,670 TPA (4 Strands)

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा गया

है। **प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्शन हुड के साथ बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है।** ईंधन का उपयोग नहीं करने के कारण रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र एवं चिमनी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित नही है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिडकाव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् अपनाई जाएगी।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – प्रस्तावित कार्यकलाप से एण्ड कटिंग – 4.3 टन प्रतिदिन, स्लेग – 24 टन प्रतिदिन एवं मिल स्केल – 1.4 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। एण्ड कटिंग को स्वयं के इंडक्शन फर्नेस में उपयोग किया जाएगा। स्लेग को निकटतम स्लेग क्रशिंग इकाईयों को उपलब्ध कराया जाएगा। मिल स्केल को फेरो एलॉयज इकाईयों, कास्टिंग इकाईयों एवं पेलेट प्लांट को विक्रय किया जाएगा।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में 25 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलु उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन एवं अन्य हेतु 22 घनमीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत 40 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलु उपयोग हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं अन्य हेतु 36 घनमीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होगी। वर्तमान में जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाती है। क्षमता विस्तार उपरांत भी यही व्यवस्था अपनायी जाएगी। ग्राउण्ड वॉटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति हेतु आवेदन किया गया है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण** – घरेलु दूषित जल की मात्रा 3.2 घनमीटर प्रतिदिन है। जिसके उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट स्थापित है। औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है। कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुर्नउपयोग किया जाता है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी गई है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् अपनाई जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुर्नचक्रण एवं पुर्नउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 8,684 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 4 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 3 मीटर एवं गहराई 5 मीटर) निर्मित किया जाएगा। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को

रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

10. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार के पश्चात् उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 4.68 टन प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित सक्शन हुड के साथ बेग फिल्टर एवं चिमनी से वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 25 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर सुनिश्चित किए जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 3.528 टन प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को पुन:उपयोग किया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। वर्तमान में इकाई से कुल 4.543 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है एवं क्षमता विस्तार के पश्चात् कुल 8.932 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार के पश्चात् (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में वृद्धि होना संभावित है।

11. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु 6,000 के.व्ही.ए. विद्युत खपत होना संभावित है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 250 के.व्ही.ए. क्षमता डी.जी. सेट स्थापित है।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में 50 नग पौधे रोपित है। परिसर के चारों हरित पट्टी के विकास हेतु लगभग 1.4 एकड़ (34 प्रतिशत) क्षेत्र में अप्रैल, 2019 तक 1,400 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है।

13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि मई, 2019 तक आंतरिक मार्गों को सीमेंट रोड में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है।

14. उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड क्षेत्र (Severely Polluted Area) में होने के कारण "उद्योग की स्थापना से आस–पास के क्षेत्रों में प्रदूषण भार बढ़ने अथवा न बढ़ने के संबंध में" छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से प्रस्तावित कार्यकलाप के संबंध में अभिमत प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

15. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड क्षेत्र (Severely Polluted Area) में होने के कारण "उद्योग की स्थापना से आस–पास के क्षेत्रों में प्रदूषण भार बढ़ने अथवा न बढ़ने के संबंध में" छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से प्रस्तावित कार्यकलाप के संबंध में अभिमत प्राप्त किया जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक को भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ के ज्ञापन दिनांक 25/05/2019 द्वारा छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया में होने के कारण प्रस्तावित कार्यकलाप के संबंध में अभिमत प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। जिसके परिपेक्ष्य में सदस्य सचिव, छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 23/09/2019 द्वारा अभिमत प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 296वीं बैठक दिनांक 10/10/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/अभिमत का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. अभिमत में उल्लेखित तथ्य निम्न है:-

   "माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 1038 ऑफ 2018 में दिनांक 10/07/2019 को आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के पैरा 28 के अनुसार क्रिटिकली/सीवियरली प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों/क्लस्टर्स में लाल एवं नारंगी श्रेणी के नवीन उद्योगों एवं इस श्रेणी के स्थापित उद्योगों के क्षमता विस्तार के प्रकरणों में अनुमति प्रदान नहीं की जानी है। विषयांकित प्रकरण में उक्त आदेश अनुसार छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा उद्योग के आवेदन करने पर उद्योग को स्थापना एवं संचालन सम्मति जारी नहीं की जाएगी।"

2. माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त आदेश:-

   i. माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 1038 ऑफ 2018 में दिनांक 10/07/2019 को आदेश पारित किया गया है। आदेश में वर्ष 2018 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई मॉनिटरिंग के आधार पर देश के 100 प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र/ समूहो का अवरोही CEPI Score का विवरण किया गया है। उक्त तालिका में छत्तीसगढ राज्य के प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र निम्नानुसार है:-

Sl. No.	Name of Polluted Industrial Areas (PIAs)	Air	Water	Land	CEPI Score	Status of Environment
19.	Siltara Industrial Area (Chhattisgarh)	76.00	51.75	31.75	79.94	Ac_Ws_Ln
37.	Raipur (Chhattisgarh)	67.00	45.75	25.00	70.77	Ac_Ws_Ln
76.	Korba (Chhattisgarh)	43.75	17.75	54.00	57.57	An_Wn_Ls
93.	Bhilai-Durg (Chhattisgarh)	43.00	32.75	19.75	46.69	An_Wn_Ln

   ii. पारित आदेश के पैरा (28) में मुख्य रूप से निम्नानुसार उल्लेख है:-

   "Accordingly, we direct the CPCB in coordination with all State PCBs/PCCs to take steps in exercise of statutory powers under the Air

(Prevention and Control of Pollution) Act,1981, Water (Prevention and Control of Pollution) Act,1974, Environment (Protection) Act,1986 or any other law to prohibit operation of polluting activities in the said CPAs and SPAs within three months and furnish a compliance report to this Tribunal."

एवं

"No Further industrial activities or expansion be allowed with regard to 'red' and 'orange' category units till the said areas are brought within the prescribed parameters or till carrying capacity of area is assessed and new units or expansion is found viable having regard to the carrying capacity of the area and evironmental norms."

iii. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली के समक्ष वर्ष 2018 के CEPI Score अनुसार सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र, छत्तीसगढ़ तथा रायपुर, छत्तीसगढ़ में वायु की गुणवत्ता क्रिटिकल होना बताया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली के उपरोक्त आदेश एवं सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर से प्राप्त अभिमत के आधार पर आवेदित प्रकरण पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की जा सकती। अतः प्रकरण को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स दादू स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम–गिरौद, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 781)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 98496/2019, दिनांक 26/04/2019।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–गिरौद, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 450/2, 456 एवं 452/7, कुल क्षेत्रफल – 1.285 हेक्टेयर में इण्डक्शन फर्नेस (6 टन गुणा 2 नग) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से स्टील इंगाट्स/बिलेट्स (10 टन गुणा 1 नग) क्षमता – 59,400 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। वर्तमान में स्थापित इकाई की विनियोग रुपये 6.99 करोड़ है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु परियोजना का विनियोग रुपए 4.5 करोड़ होगा।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 277वीं बैठक दिनांक 14/05/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 15/05/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से

सूचना दी जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 278वीं बैठक दिनांक 15/05/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुमीत अग्रवाल, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेवोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री सुधीर सिंह उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति** – क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से स्टील इंगाट्स क्षमता – 30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 09/05/2019 को जारी की गई है, जो दिनांक 30/04/2022 तक वैध है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

   - निकटतम आबादी ग्राम–गिरौद 0.62 कि.मी., ग्राम–धनेली 1.15 कि.मी. एवं शहर रायपुर 2.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन मांढर 3.4 कि. मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 17.6 कि. मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.25 कि.मी. है। खारून नदी 7.3 कि.मी. एवं छोकरा नाला 1.7 कि.मी. है।

   - परियोजना स्थल से उत्तर दिशा में 1.1 कि.मी. की दूरी पर मेसर्स जायसवाल निको लिमिटेड एवं उत्तर–पश्चिम दिशा में 3.2 कि.मी. की दूरी पर सिलतरा इण्स्ट्रीयल एरिया स्थित है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल – 1.933 हेक्टेयर है, जिसमें से शेड एवं बिल्डिंग का क्षेत्रफल 0.39 हेक्टेयर, रोड एवं अन्य का क्षेत्रफल 0.879 हेक्टेयर तथा हरित पट्टिका हेतु क्षेत्रफल – 0.879 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) है।

4. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदन में त्रुटिवश कुल क्षेत्रफल – 1.285 हेक्टेयर का उल्लेख हो गया, जबकि कुल भूमि 1.933 हेक्टेयर है। अतः कुल भूमि 1.933 हेक्टेयर मान्य किए जाने का अनुरोध किया गया। परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को समिति द्वारा मान्य किया गया।

5. **रॉ–मटेरियल** – वर्तमान में स्टील मेल्टिंग में रॉ–मटेरियल के रूप में स्पंज आयरन – 90 टन प्रतिदिन, पिग ऑयरन / स्क्रैप्स – 22 टन प्रतिदिन एवं फेरो एलॉयज – 1 टन प्रतिदिन का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् स्टील मेल्टिंग में रॉ–मटेरियल के रूप में स्पंज आयरन – 170 टन प्रतिदिन, पिग ऑयरन / स्क्रैप्स – 50 टन प्रतिदिन एवं फेरो एलॉयज – 2 टन प्रतिदिन का उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में रॉ–मटेरियल का परिवहन सड़क के माध्यम से ढंके हुए वाहनों द्वारा किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी।

6. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

Product	Existing	Proposed
Steel Ingots/Billets (Induction Furnace)	30,000 TPA (6 Tons X 2 Nos.)	29,400 TPA (10 Tons X 1 No.)

* वर्तमान में 6 Tons X 2 Nos. इण्डक्शन फर्नेस से 30,000 टन प्रतिवर्ष का उत्पादन किया जा रहा है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् 10 Tons X 1 No. इण्डक्शन फर्नेस की स्थापना किया जाना बताया गया है।

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फ्यूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित अतिरिक्त इण्डक्शन फर्नेस को सक्सन हुड से पूर्व स्थापित चिमनी से संलग्न किया जाएगा। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु इण्डक्शन फर्नेसेस से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर कम करने के उद्देश्य से इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फ्यूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिडकाव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वर्तमान में स्टील मेल्टिंग से स्लेग – 12 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् इण्डक्शन फर्नेस से स्लेग – 22 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्लेग को निकटतम स्लेग क्रशिंग युनिट्स को उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में जनित ठोस अपशिष्ट के अपवहन हेतु उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 20 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन, कूलिंग इण्डक्शन फर्नेस हेतु 12 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं हॉर्टिकल्चर हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन) जल की खपत होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् परियोजना हेतु कुल 30 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन, कूलिंग इण्डक्शन फर्नेस हेतु 22 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं हॉर्टिकल्चर हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी। भूमिगत जल की उपयोगिता हेतु अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से लिए जाने बाबत् आवेदन किया गया है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु

11/10/19

उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् उपरोक्त व्यवस्था अपनाई जाएगी। घरेलू दूषित जल की मात्रा 2.4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। वर्तमान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण के अनुसार उद्योग स्थल सेमीक्रिटिकल जोन के अंतर्गत आता है, केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस दिनांक 01/03/2019 अनुसार Over exploited, critical and semi-critical assessment unit में स्थापित इकाइयों, इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट एवं माइनिंग प्रोजेक्ट्स को भू–जल उपयोग की अनुमति नहीं दिया जाना है, फलस्वरूप उद्योग को औद्योगिक कार्य हेतु भू–जल दोहन की अनुमति नहीं होगी। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर मे वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 9,919 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 5 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 3 मीटर एवं गहराई 3.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का कार्य आगामी 04 माह में पूर्ण किया जाए।

10. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – स्थापित इण्डक्शन फर्नेस से उत्पादन की दशा में एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषको के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 3.060 किलोग्राम प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 1.980 किलोग्राम प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को पुनःउपयोग किया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। वर्तमान में इकाई से कुल 3,600 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है एवं प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् कुल 6,600 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत (1)

प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में वृद्धि होना संभावित है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – आवश्यक विद्युत की जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट उपयोग किया जाएगा।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 1.64 एकड़ (33 प्रतिशत) क्षेत्र में पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 1,200 नग पौधे रोपित किए गए है।

13. उद्योग परिसर के आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण दिनांक 30/06/2019 तक किए जाने बाबत् कमिटमेंट प्रस्तुत किया गया है।

14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Additional Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Rs. Lakh)
Rs. 450	1%	Rs. 4.5	Running Water Supply For Sanitation Facility, Rain Water Harvesting at Premises of Government School of Village-Giroud.	Rs. 4.5
			Total	**Rs. 4.5**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से प्रस्तावित कार्यकलाप के संबंध में अभिमत प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

2. स्थापित कार्यकलाप में प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कोई उल्लंघन विगत एक वर्ष में किया गया हो, तो इस बाबत् जानकारी एवं निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा की गई कार्यवाही बाबत् जानकारी क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

11/10/19

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/07/2019 द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया में होने के कारण प्रस्तावित कार्यकलाप के संबंध में अभिमत प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। जिसके परिपेक्ष्य में सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 23/09/2019 द्वारा अभिमत प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 296वीं बैठक दिनांक 10/10/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/अभिमत का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. अभिमत में उल्लेखित तथ्य निम्न है:-

   "माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 1038 ऑफ 2018 में दिनांक 10/07/2019 को आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के पैरा 28 के अनुसार क्रिटिकली/सीवियरली प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों/क्लस्टर्स में लाल एवं नारंगी श्रेणी के नवीन उद्योगों एवं इस श्रेणी के स्थापित उद्योगों के क्षमता विस्तार के प्रकरणों में अनुमति प्रदान नहीं की जानी है। विषयांकित प्रकरण में उक्त आदेश अनुसार छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा उद्योग के आवेदन करने पर उद्योग को स्थापना एवं संचालन सम्मति जारी नहीं की जाएगी।"

2. माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त आदेश:-

   i. माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 1038 ऑफ 2018 में दिनांक 10/07/2019 को आदेश पारित किया गया है। आदेश में वर्ष 2018 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई मॉनिटरिंग के आधार पर देश के 100 प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र/ समूहों का अवरोही CEPI Score का विवरण किया गया है। उक्त तालिका में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र निम्नानुसार हैं:-

Sl. No.	Name of Polluted Industrial Areas (PIAs)	Air	Water	Land	CEPI Score	Status of Environment
19.	Siltara Industrial Area (Chhattisgarh)	76.00	51.75	31.75	79.94	Ac_Ws_Ln
37.	Raipur (Chhattisgarh)	67.00	45.75	25.00	70.77	Ac_Ws_Ln
76.	Korba (Chhattisgarh)	43.75	17.75	54.00	57.57	An_Wn_Ls
93.	Bhilai-Durg (Chhattisgarh)	43.00	32.75	19.75	46.69	An_Wn_Ln

   ii. पारित आदेश के पैरा (28) में मुख्य रूप से निम्नानुसार उल्लेख है:-

   "Accordingly, we direct the CPCB in coordination with all State PCBs/PCCs to take steps in exercise of statutory powers under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act,1981, Water (Prevention and Control of Pollution) Act,1974, Environment (Protection) Act,1986 or any other law to prohibit operation of polluting activities in the said CPAs and SPAs within three months and furnish a compliance report to this Tribunal."

एवं

"No Further industrial activities or expansion be allowed with regard to 'red' and 'orange' category units till the said areas are brought within the prescribed parameters or till carrying capacity of area is assessed and new units or expansion is found viable having regard to the carrying capacity of the area and evironmental norms."

iii. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली के समक्ष वर्ष 2018 के CEPI Score अनुसार सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र, छत्तीसगढ़ तथा रायपुर, छत्तीसगढ़ में वायु की गुणवत्ता क्रिटिकल होना बताया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली के उपरोक्त आदेश एवं सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर से प्राप्त अभिमत के आधार पर आवेदित प्रकरण पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की जा सकती। अतः प्रकरण को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स महेन्द्रा स्ट्रीप्स प्राईवेट लिमिटेड, उरला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 851)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 104154/2019, दिनांक 02/05/2019।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् उरला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लाट क्रमांक पार्ट ऑफ 3 एवं पार्ट ऑफ 4, कुल क्षेत्रफल – 1.596 हेक्टेयर (4 एकड़) में इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 18,000 टन प्रतिवर्ष से 59,904 टन प्रतिवर्ष, स्थापित रोलिंग मिल क्षमता – 28,500 टन प्रतिवर्ष से हॉट चार्ज रोलिंग मिल क्षमता – 58,160 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। वर्तमान में स्थापित इकाई की विनियोग रुपये 10.41 करोड़ है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु परियोजना का विनियोग रुपए 20 करोड़ होगा।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 277वीं बैठक दिनांक 14/05/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 16/05/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 279वीं बैठक दिनांक 16/05/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपेश अग्रवाल, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि आवेदन में हॉट चार्ज रोलिंग मिल क्षमता – 58,160 टन प्रतिवर्ष का त्रुटिवश उल्लेख किया गया है। वास्तव में वर्तमान में दो पल्वराईज्ड कोल आधारित रोलिंग मिल क्षमता – 2,500 टन प्रतिवर्ष प्रति शिफ्ट एवं 7,000 टन प्रतिवर्ष प्रति शिफ्ट स्थापित एवं संचालित है।

2. प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् पल्वराईज्ड कोल आधारित रोलिंग मिल क्षमता – 2,500 टन प्रतिवर्ष प्रति शिफ्ट को संचालित किया जाकर 7,500 टन प्रतिवर्ष तथा पल्वराईज्ड कोल आधारित रोलिंग मिल क्षमता – 7,000 टन प्रतिवर्ष प्रति शिफ्ट को हॉट चार्ज रोलिंग मिल क्षमता – 50,660 टन प्रतिवर्ष परिवर्तित किया जाएगा। इस प्रकार रोलिंग मिल कुल क्षमता – 58,160 टन प्रतिवर्ष होगी।

3. **जल एवं वायु सम्मति** – क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से एम.एस. इंगाट एवं बिलेट्स क्षमता – 18,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष एवं री–रोल्ड प्रोडक्ट क्षमता – 9,500 टन प्रतिवर्ष प्रतिशिफ्ट हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण क्रमशः दिनांक 31/03/2018 एवं 29/12/2018 को जारी की गई है, जिसकी वैधता क्रमशः दिनांक 31/03/2020 एवं 31/12/2020 तक है।

4. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

   - निकटतम आबादी ग्राम–सरोरा 0.55 कि.मी., ग्राम–सोनडोगरी 1.1 कि.मी. एवं शहर रायपुर 0.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन रायपुर 3.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खारून नदी 6.4 कि.मी. एवं छोटा नाला 0.84 कि.मी. है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

5. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल – 1.596 हेक्टेयर है, जिसमें से बिल्डिंग एवं शेड का क्षेत्रफल 0.617 हेक्टेयर, रोड एवं अन्य का क्षेत्रफल – 0.444 हेक्टेयर एवं हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल – 0.535 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) होगा।

6. **रॉ–मटेरियल** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में रॉ–मटेरियल के रूप में स्पंज आयरन – 16,848 टन प्रतिवर्श, पिग ऑयरन / स्क्रैप्स – 4,680 टन प्रतिवर्श एवं फेरो एलॉयज – 312 टन प्रतिवर्श का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् इण्डक्शन फर्नेस में रॉ–मटेरियल के रूप में स्पंज आयरन – 53,040 टन प्रतिवर्श, पिग ऑयरन / स्क्रैप्स – 15,000 टन प्रतिवर्श एवं फेरो एलॉयज – 600 टन प्रतिवर्श का उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में रोलिंग मिल में रॉ–मटेरियल के रूप बिलेट्स/इंगाट्स – 30,000 टन प्रतिवर्श एवं कोल – 3,120 टन प्रतिवर्श का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् रोलिंग मिल में रॉ–मटेरियल के रूप में हॉट बिलेट्स – 59,904 टन प्रतिवर्श एवं

कोल – 1,248 टन प्रतिवर्श का उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में रॉ–मटेरियल का परिवहन सड़क के माध्यम से ढंके हुए वाहनों द्वारा किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी।

7. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

S. No.	Product	Existing (In TPA)	After Proposed Expansion (In TPA)
1.	Induction Furnaces	18,000 (6 T x 1 No.)	59,904 (8 T x 3 Nos. by converting existing 6 T x 1 No. to (8 T x 1 No. +8 T x 2 Nos.)
2.	Rolling Mill (TMT / Wire / Angle / Channel / Steel Structures / Patra)	28,500 (2,500 T/ Y/ Shift + 7,000 T/ Y/ Shift)	50,660 (Hot Charged)
			7,500 (thourgh existing pulverized coal rolling mill of capacity 2,500 T/ Y/ Shift)

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फयूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित अतिरिक्त इण्डक्शन फर्नेसेस को सक्शन हुड से पूर्व स्थापित चिमनी से संलग्न किया जाएगा। वर्तमान में पल्वराईज्ड कोल आधारित रोलिंग मिलों में रीक्युपरेटर, स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है, इसमें स्थापित स्क्रबर की क्षमता /दक्षता वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु इण्डक्शन फर्नेसेस से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर कम करने के उद्देश्य से इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फयूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल एवं ईंधन का उपयोग नहीं करने के कारण रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र एवं चिमनी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित नहीं है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस से स्लेग – 8 टन प्रतिदिन, रोलिंग मिल से मिल स्केलस – 0.6 टन प्रतिदिन, एण्ड कटिंग – 1.5 टन प्रतिदिन तथा ऐश – 4.5 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् इण्डक्शन फर्नेसेस से स्लेग – 24 टन प्रतिदिन, रोलिंग मिल से मिल स्केलस – 3.9 टन प्रतिदिन, एण्ड कटिंग – 1.7 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्लेग को स्लेग क्रशिंग इकाईयों को उपलब्ध कराया जाएगा। एण्ड कटिंग को स्वयं के इण्डक्शन फर्नेस के रूप में उपयोग किया जाएगा। मिल स्केल को निकटतम करिटंग

युनिट्स/पैलेट प्लांट एवं फेरो एलॉयज मैन्युफेक्चरिंग युनिट्स को विक्रय किया जाएगा। वर्तमान में जनित ठोस अपशिष्ट के अपवहन हेतु उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान मे परियोजना हेतु कुल 23 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन, कूलिंग इण्डक्शन फर्नेस हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन, कूलिंग रोलिंग मिल हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं हॉर्टिकल्चर हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन) जल की खपत होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् परियोजना हेतु कुल 35 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन, कूलिंग इण्डक्शन फर्नेस हेतु 15 घनमीटर प्रतिदिन, कूलिंग रोलिंग मिल हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं हॉर्टिकल्चर हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी। भू–जल जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी के पत्र दिनांक 18/05/2018 द्वारा 110 घनमीटर प्रतिदिन हेतु अनुमति प्रदान की गई है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है। कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग मे लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् उपरोक्त व्यवस्था अपनाई जाएगी। घरेलू दूषित जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। वर्तमान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण के अनुसार उद्योग स्थल सेमीक्रिटिकल जोन के अंतर्गत आता है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 8983 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 4 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 3 मीटर एवं ऊंचाई 4 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 2 नग रूफ टॉप रिचार्ज स्ट्रक्चर निर्मित किया गया है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए

जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का कार्य आगामी 04 माह में पूर्ण किया जाए।

11. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – स्थापित इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल से उत्पादन की दशा में एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषको के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 7.74 टन प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 3.276 टन प्रतिवर्ष होगी। साथ ही प्रतिवर्ष कोल खपत में 1,872 टन की कमी होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को पुनःउपयोग किया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। वर्तमान में इकाई से कुल 14.6 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है एवं प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् कुल 29.6 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) प्रतिवर्ष कोल खपत में कमी, (3) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि तथा (4) जल उपभोग की मात्रा में वृद्धि होना संभावित है।

12. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 1.33 एकड (33 प्रतिशत) क्षेत्र में पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 100 नग पौधे रोपित किए गए है। शेष वृक्षारोपण का कार्य मानसून तक किया जाना बताया गया है।

14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Rs. Lakh)

11/10/19

Rs. 2000	1%	Rs. 20	Potable Drinking Water Facility, Rain Water Harvesting, Running Water Facility for Toilets, Solar Electrification for Fans of classrooms at Government School Village-Sarora	Rs. 20
			Total	**Rs. 20.00**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से प्रस्तावित कार्यकलाप के संबंध में अभिमत हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।
2. स्थापित कार्यकलाप में प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कोई उल्लंघन विगत एक वर्ष में किया गया हो, तो इस बाबत् जानकारी एवं निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा की गई कार्यवाही बाबत् जानकारी क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. पूर्व में क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा जारी सम्मति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. संशोधित ले–आउट प्लान (डायमेंशन सहित) प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/07/2019 द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया में होने के कारण प्रस्तावित कार्यकलाप के संबंध में अभिमत प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। जिसके परिपेक्ष्य में सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 23/09/2019 द्वारा अभिमत प्रस्तुत किया गया है। अभिमत उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 1038 ऑफ 2018 में दिनांक 10/07/2019 को आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के पैरा 28 के अनुसार क्रिटिकली/सीवियरली प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों/क्लस्टर्स में लाल एवं नारंगी श्रेणी के नवीन उद्योगों एवं इस श्रेणी के स्थापित उद्योगों के क्षमता विस्तार के प्रकरणों में अनुमति प्रदान नहीं की जानी है। विषयांकित प्रकरण में उक्त आदेश अनुसार छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा उद्योग के आवेदन करने पर उद्योग को स्थापना एवं संचालन सम्मति जारी नहीं की जाएगी।"

(स) समिति की 296वीं बैठक दिनांक 10/10/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/अभिमत का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. अभिमत में उल्लेखित तथ्य निम्न है:–

"माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 1038 ऑफ 2018 में दिनांक 10/07/2019 को आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के पैरा 28 के अनुसार क्रिटिकली/सीवियरली प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों/क्लस्टर्स में लाल एवं नारंगी श्रेणी के नवीन उद्योगों एवं इस श्रेणी के स्थापित उद्योगों के क्षमता विस्तार के प्रकरणों में अनुमति प्रदान नहीं की जानी है। विषयांकित प्रकरण में उक्त आदेश अनुसार छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा उद्योग के आवेदन करने पर उद्योग को स्थापना एवं संचालन सम्मति जारी नहीं की जाएगी।"

2. माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त आदेश:–

i. माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 1038 ऑफ 2018 में दिनांक 10/07/2019 को आदेश पारित किया गया है। आदेश में वर्ष 2018 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई मॉनिटरिंग के आधार पर देश के 100 प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र/ समूहों का अवरोही CEPI Score का विवरण किया गया है। उक्त तालिका में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र निम्नानुसार हैं:–

Sl. No.	Name of Polluted Industrial Areas (PIAs)	Air	Water	Land	CEPI Score	Status of Environment
19.	Siltara Industrial Area (Chhattisgarh)	76.00	51.75	31.75	79.94	Ac_Ws_Ln
37.	Raipur (Chhattisgarh)	67.00	45.75	25.00	70.77	Ac_Ws_Ln
76.	Korba (Chhattisgarh)	43.75	17.75	54.00	57.57	An_Wn_Ls
93.	Bhilai-Durg (Chhattisgarh)	43.00	32.75	19.75	46.69	An_Wn_Ln

ii. पारित आदेश के पैरा (28) में मुख्य रूप से निम्नानुसार उल्लेख है:–

"Accordingly, we direct the CPCB in coordination with all State PCBs/PCCs to take steps in exercise of statutory powers under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act,1981, Water (Prevention and Control of Pollution) Act,1974, Environment (Protection) Act,1986 or any other law to prohibit operation of polluting activities in the said CPAs and SPAs within three months and furnish a compliance report to this Tribunal."

एवं

"No Further industrial activities or expansion be allowed with regard to 'red' and 'orange' category units till the said areas are brought within the prescribed parameters or till carrying capacity of area is assessed and new units or expansion is found viable having regard to the carrying capacity of the area and evironmental norms."

iii. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली के समक्ष वर्ष 2018 के CEPI Score अनुसार सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र,

छत्तीसगढ़ तथा रायपुर, छत्तीसगढ़ में वायु की गुणवत्ता क्रिटिकल होना बताया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली के उपरोक्त आदेश एवं सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर से प्राप्त अभिमत के आधार पर आवेदित प्रकरण पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की जा सकती। अतः प्रकरण को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम–अरसमेटा, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 638)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ टीएचई/ 28604/ 2017, दिनांक 07/08/2018। वर्तमान में पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन बाबत् दिनांक 31/05/2019 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–अरसमेटा, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर चांपा स्थित खसरा क्रमांक 8/1, 8/2, 9, 20, 36, 55 एवं 56 में कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट – 20 मेगावॉट की स्थापना हेतु टीओआर बाबत् आवेदन किया गया था। स्थापित सीमेंट प्लांट के कुल क्षेत्रफल 82 हेक्टेयर में से 2.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित था।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/11/2017 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक को बी–1 केटेगरी का होने के कारण स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) ईआईए रिपोर्ट बनाने हेतु जारी किया गया था। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 07/08/2018 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/02/2019 द्वारा ग्राम–अरसमेटा, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर चांपा स्थित खसरा क्रमांक 8/1, 8/2, 9, 20, 36, 55 एवं 56 में कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट – 20 मेगावॉट, कुल क्षेत्रफल 82 हेक्टेयर में से 2.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट स्थापित करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 283वीं बैठक दिनांक 14/06/2019:

समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति को प्रस्तुत जानकारी का तत्समय परीक्षण किया एवं पाया गया कि उद्योग द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अनुमति के बिना उद्योग को जारी पर्यावरणीय

स्वीकृति में उल्लेखित स्थल के स्थान पर अन्य स्थल पर निर्माण कार्य आरंभ किया जा चुका है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की दो सदस्यीय उपसमिति श्री अरविन्द कुमार गौरहा एवं डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य के द्वारा उद्योग स्थल का निरीक्षण किया जाए एवं समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उस पर विचार एवं परियोजना प्रस्तावक का पक्ष सुनने के बाद तदानुसार कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/07/2019 द्वारा उद्योग स्थल का निरीक्षण करने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की दो सदस्यीय उपसमिति श्री अरविन्द कुमार गौरहा एवं डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य को सूचित किया गया। उक्त ज्ञापन के परिपेक्ष्य में दिनांक 07/07/2019 को उद्योग स्थल का निरीक्षण किया गया।

(ब) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019:

समिति द्वारा नस्ती/ निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत स्थिति पाई गयी:-

1. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की दो सदस्यीय उपसमिति श्री अरविन्द कुमार गौरहा एवं डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 22/07/2019 को बैठक के दौरान प्रस्तुत किया गया।
2. निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-
    - EC No. 461/AEIAA C.G/Plant/Janjgeer-Champa/638 Atal nagar Dated 12-02-2019.
    - Proposed site for chimney/Boiler/Turbine for which EC was granted has been changed to new site by the client. As mentioned by the client, proposed site and new site both are within the boundary of Nuvoco Cement Plant, Arasmeta, on the same Khasra numbers mentioned in the proposal for EC.
    - Proposed site and new site are approximately 200 meters apart (Annexure-I & Annexure-II).
    - On the proposed site a high tension power line is passing through the plot (Annexure-III).
    - On the new site client has done site clearance and some part of foundation work (Annexure-IV), as mentioned in the report of the R.O. (CECB), Bilaspur, dated 07.03.2019 (Annexure-V). As per client, no further construction activity was continued after the visit of R.O. (CECB), Bilaspur. At present no construction is going on.

- On the new site material & components procured for establishment of proposed power plant was also found to be dumped (Annexure-VI).

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था:–

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 24/07/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(स) समिति की 286वीं बैठक दिनांक 24/07/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय त्यागी एवं आर.सी. पाठक तथा पर्यावरण सलाहकार मेसर्स बी.एस. इन्वाय–टेक प्राईवेट लिमिटेड, सिकंदराबाद की ओर से श्री वाय.बी.एस. मुर्थी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी थी कि:–

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित खसरा क्रमांक 8/1, 8/2, 9, 20, 36, 55 एवं 56 के साईट–1 के स्थान पर साईट–2 में कोल बेरड केप्टिव पावर प्लांट की स्थापना का कार्य किया जा रहा है।
2. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित खसरा क्रमांक 8/1, 8/2, 9, 20, 36, 55 एवं 56 में साईट–1 के ऊपर से हाई टेंशन लाईन जाने के कारण उपरोक्त खसरा क्रमांक के अंतर्गत ही साईट–2 में कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट के स्थापना का कार्य किया जाना है। वर्तमान में स्थापना का कार्य बंद है।
3. पूर्व में निर्धारित स्थल दक्षिण–पूर्व दिशा साईट–1 से वर्तमान में चयनित स्थल दक्षिण दिशा साईट–2 की दूरी 180 मीटर है। वर्तमान में चयनित स्थल की मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर होना बताया गया है।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर के ज्ञापन दिनांक 07/03/2019 द्वारा कार्य बंद करने के निर्देश के आधार पर ही कार्य तत्समय बंद करना बताया गया है।
5. उपसमिति द्वारा भी उपरोक्त स्थितियों से समिति को अवगत कराया गया।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष अनुरोध किया गया कि प्रस्तुतीकरण हेतु पूर्ण तैयारी नहीं होने के कारण, प्रस्तुतीकरण के लिए अन्य तिथि प्रदान की जाए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज/अद्यतन फोटोग्राफस के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 290वीं बैठक दिनांक 21/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आरिफ अहमद, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री राजीव रंजन, असिसटेंट वाइस प्रेसिडेंट उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा निम्न स्थिति पाई गई:-

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उद्योग में कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट के स्थापना का कार्य दिनांक 15/02/2019 से आरंभ किया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट के स्थापना का कार्य हेतु दिनांक 18/02/2019 एवं इसके बाद दिनांक 07/03/2019 तक प्लांट के मेसरमेंट बुक (Measurement Book) की प्रति एवं रेडोमिक्स कांक्रीट (Redomix Concrete) के लिए चालान की प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत प्रतियों से इंगित होता है कि स्थापना का कार्य दिनांक 15/02/2019 से आरंभ किया गया।

3. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि शिकायत में प्रस्तुत फोटोग्राफ्स में प्रदर्शित डिस्प्ले बोर्ड पर 1 गुणा 18 मेगावाट दर्शाया गया है, जबकि आवेदित प्रकरण की क्षमता 1 गुणा 20 मेगावाट है, जिसके लिए एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/02/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है। अतः शिकायत में प्रस्तुत फोटोग्राफ्स आवेदित प्रकरण के स्थापना स्थल (Construction area) का नहीं है।

4. भूमि वर्ष 1982-83 से उद्योग के आधिपत्य में है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 4334, दिनांक 13/11/2017 द्वारा डब्ल्यु. एच.आर.बी. आधारित पावर प्लांट - 7 मेगावॉट की अनुमति प्राप्त की गई थी, जिसके आधार पर सिविल फाउंडेशन वर्क (Civil Foundation Work) का कार्य किया जा रहा है।

5. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर से बिना स्थापना सम्मति प्राप्त किए निर्माण कार्य आरंभ करने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 02/11/2018 द्वारा अध्यक्ष, समस्त राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिए गए, जिसमें निम्न उल्लेख है:-

   "For Industries requiring EC, issuing of consent by SPCBs/PCCs shall be one step process and EC will be deemed as CTE in such cases. SPCBs/PCCs shall be involved in the process of granting of EC."

   उक्त निर्देश से भ्रांति (Confusion) होने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति उपरांत जल एवं वायु स्थापना सम्मति नहीं प्राप्त की गई।

6. समिति द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 02/11/2018 का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि उक्त निर्देश छत्तीसगढ़ राज्य में अंगीकृत नहीं किया गया है। उपरोक्त निर्देश से भ्रम की स्थिति निर्मित होना संभव है।

7. ग्राम पंचायत परसदा, ग्राम पंचायत मुलमुला एवं ग्राम पंचायत अर्जुनी के सरपंचों द्वारा प्रेषित पत्र प्राप्ति दिनांक 27/06/2019 के माध्यम से शिकायत प्रस्तुत की गई है।

Applicable
11/10/19

8. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 29/07/2019 को पंचायतों द्वारा पूर्व में की गई शिकायत को पुनः संलग्न कर प्रेषित किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. उद्योग द्वारा केप्टिव पॉवर प्लांट के पूर्व में निर्धारित स्थल साईट-1 तथा वर्तमान में चयनित स्थल साईट-2 (प्रस्तावित स्थल) के ले-आउट एवं खसरे का विवरण पटवारी से पुष्टिकरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
2. समिति द्वारा पूर्व में निर्धारित स्थल साईट-1 तथा वर्तमान में चयनित स्थल साईट-2 का अक्षांश (Latitude) एवं देशांश (Longitude) का मापन किया जाए।
3. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की तीन सदस्यीय उपसमिति श्री अरविन्द कुमार गौरहा, डॉ. मोहन लाल अग्रवाल एवं डॉ. एम.डब्ल्यू.वाई खान, सदस्य के द्वारा प्राप्त शिकायतों के परिपेक्ष्य में उद्योग स्थल का निरीक्षण एवं शिकायतों की जाँच की जाएगी। जाँच में शिकायतकर्ताओं का भी पक्ष सुना जाए। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/08/2019 द्वारा उद्योग स्थल का निरीक्षण करने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की तीन सदस्यीय उपसमिति श्री अरविन्द कुमार गौरहा, डॉ. मोहन लाल अग्रवाल एवं डॉ. एम.डब्ल्यू.वाई खान, सदस्य को सूचित किया गया। उक्त ज्ञापन के परिपेक्ष्य में दिनांक 08/09/2019 को उद्योग स्थल का निरीक्षण किया गया।

(इ) समिति की 293वीं बैठक दिनांक 17/09/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/ निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की तीन सदस्यीय उपसमिति श्री अरविन्द कुमार गौरहा, डॉ. मोहन लाल अग्रवाल एवं डॉ. एम.डब्ल्यू.वाई खान, सदस्य द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 16/09/2019 को बैठक के दौरान प्रस्तुत किया गया।
2. निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-
   i. The latitudes & longitudes of original sites and proposed site of 20 MW coal based captive power plant were verified and found to be within boundary limits (the details are enclosed here with).
   ii. The Sub-committee wanted to interact with Sarpanch of Villages- Mulmula, Arjuni and Parsada. They were called at regional office of CECB Bilaspur (C.G.). Mr. Upendra Singh of Mulmula, Smt. Kavita Bai of Arjuni and Smt. Mathura Verma of Parsada, all the sarpanch came at R.O. Office.
   iii. Sub-Committee wanted to discuss their submissions and to interact with them but Shri Devendra Singh, Brother of Mulmula Sarpanch (Mr. Upendra Singh) who accompanied them, was adamant that only he will

represent all the issues.It was not allowed by the Sub-committee. Subsequently all of them left the office without interacting with the Sub-committee.

iv. उपसमिति द्वारा निम्नानुसार निर्देशांक पाए गये:

GPS Coordinates of Proposed Location for which EC was granted vide letter dated 12/02/2019

a) Latitude - 21°57'57.07" N , Longitude – 82°21'19.56" E

b) Latitude - 21°58'8.59" N , Longitude – 82°21'19.93" E

c) Latitude - 21°58'8.87" N , Longitude – 82°21'14.28" E

d) Latitude - 21°57'58.13" N , Longitude – 82°21'14.01" E

GPS Coordinates of Proposed Location for which EC amendment is sought

a) Latitude - 21° 57'57.10" N , Longitude – 82° 20'59.61" E

b) Latitude - 21°58'0.62" N , Longitude – 82° 20'59.71" E

c) Latitude - 21° 58'0.64" N , Longitude – 82° 21'7.45" E

d) Latitude - 21° 57'56.97" N , Longitude – 82° 21'7.16" E

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया था:–

शिकायतों के संबंध में शिकायतकर्ताओं का पक्ष सुना जाना आवश्यक है। अतः उपसमिति द्वारा शिकायतकर्ताओं का पक्ष सुनकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छ.ग के ज्ञापन दिनांक 19/09/2019 द्वारा शिकायतकर्ताओं को अपना पक्ष रखने एवं शिकायतकर्ताओं का पक्ष सुनने हेतु (दिनांक 26/09/2019 को अपरान्ह 01:00 बजे) उपसमिति को ज्ञापन प्रेषित किया गया।

उपसमिति के सदस्य डॉ. एम.डब्ल्यू.वाई खान, डॉ. दीपक सिन्हा एवं श्री भोसकर विलास संदिपान शिकायतकर्ताओं का पक्ष सुनने हेतु दिनांक 26/09/2019 को अपरान्ह 01:00 बजे उपस्थित हुए।

(ई) समिति की 296वीं बैठक दिनांक 10/10/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/प्रतिवेदन का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. उपसमिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्न है:–

   "उपसमिति द्वारा अपरान्ह 03:00 बजे तक शिकायतकर्ताओं की प्रतीक्षा की गई। उपसमिति के समक्ष उक्त शिकायतों के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु कोई भी शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुआ।

   इससे यह प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ताओं के पास शिकायत के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कोई भी प्रमाणित तथ्य (Content) नहीं हैं एवं उनके द्वारा केवल समिति का समय व्यर्थ किया जाकर, भ्रम में रखा जा रहा है। अतः उपसमिति का मत है कि शिकायतकर्ताओं को अपना पक्ष रखने हेतु पुनः अवसर दिए जाने की आवश्यकता नहीं है।"

2. कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट की स्थापना का कार्य पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये जाने के उपरांत प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में स्थापना कार्य बंद है।

11/10/19

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट के पूर्व में निर्धारित स्थल तथा वर्तमान में चयनित स्थल के ले–आउट एवं खसरे का विवरण पटवारी के पुष्टिकरण के साथ प्रस्तुत किया गया है।

4. समिति द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 13/09/2019 द्वारा प्रस्तुत पत्र का अवलोकन किया गया।

5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित स्थल तथा वर्तमान में चयनित स्थल सीमेंट प्लांट परिसर के भीतर में ही स्थित है। जो कि उद्योग के स्वामित्व में है।

6. समिति द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के Circular No.J11013/41/2006-IA.II(I) दिनांक 22/10/2010 द्वारा "Consideration of proposals relating to change in loaction after public hearing has been held or after environment clearance has been accorded-procedure to be followed - Regarding." का भी अवलोकन किया गया।

7. पूर्व में निर्धारित स्थल (दक्षिण–पूर्व दिशा) के ऊपर से हाई टेंशन लाईन जाने के कारण दक्षिण दिशा में 180 मीटर की दूरी में नये स्थल का चयन किया गया है। यह स्थल विस्थापना सूक्ष्म है तथा इसके कारण किसी भी प्रकार के अतिरिक्त पर्यावरणीय प्रभाव की संभावना प्रतीत नहीं होती है।

8. स्थल विस्थापन से परियोजन से प्रभावित लोगो, ई.आई.ए अध्ययन क्षेत्र, पर्यावरण सेटिंग (Environment Setting) एवं इम्पेक्ट जोन (Impact Zone) में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक को कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट की स्थापना हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित अक्षांश एवं देशांश के स्थान पर निम्न अक्षांश एवं देशांश हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन किये जाने की अनुशंसा की गई:–

a) Latitude - 21° 57'57.10" N , Longitude – 82° 20'59.61" E
b) Latitude - 21°58'0.62" N , Longitude – 82° 20'59.71" E
c) Latitude - 21° 58'0.64" N , Longitude – 82° 21'7.45" E
d) Latitude - 21° 57'56.97" N , Longitude – 82° 21'7.16" E

i. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य 06 माह में पूर्ण कर, कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में विनिर्दिष्ट शर्तें यथावत रहेगी।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–4: औद्योगिक परियोजना संबंधी प्रकरण की जानकारी / दस्तावेज प्राप्ति उपरांत विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स हनुमंत एलॉयज (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–हरदीकला, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 881)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 36857/ 2019, दिनांक 27/05/2019।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–हरदीकला, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर स्थित प्लाट क्रमांक 657, कुल क्षेत्रफल – 3.95 हेक्टेयर (9.76 एकड) में स्थापित डीआरआई किल्न (स्पंज आयरन) क्षमता – 15,000 टन प्रतिवर्ष (1 गुणा 50 टन प्रतिदिन) से 16,500 टन प्रतिवर्ष (Increase in the no. of days from 300 to 330 days), न्यू डीआरआई किल्न (स्पंज आयरन) क्षमता – 41,250 टन प्रतिवर्ष (1 गुणा 125 टन प्रतिदिन) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपए 11 करोड है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 280वीं बैठक दिनांक 11/06/2019:

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. भूमि स्वामित्व/भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाये। यह स्पष्ट किया जावे कि भूमि इण्डस्ट्रीयल एरिया के अंतर्गत शामिल है अथवा नहीं? यदि भूमि इण्डस्ट्रीयल एरिया के अंतर्गत शामिल है, तो इसकी पुष्टि हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।
3. सेन्ट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाये। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. वर्तमान में स्थापित एवं क्षमता विस्तार के तहत् प्रस्तावित ग्राउंड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/07/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 285वीं बैठक दिनांक 23/07/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती/अनुरोध पत्र का अवलोकन किया गया। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 22/07/2019 द्वारा सूचना दी गई कि अपरिहार्य कारणों से उनका समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ के ज्ञापन दिनांक 14/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 290वीं बैठक दिनांक 21/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती /अनुरोध पत्र एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21/08/2019 को सूचना दी गई कि अपरिहार्य कारणों से उनका समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अनुरोध किया गया कि अक्टूबर माह के आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिया जाए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए परियोजना प्रस्तावक को अक्टूबर माह की आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 296वीं बैठक दिनांक 10/10/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुमीत अग्रवाल, डायरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

   - निकटतम आबादी ग्राम–हरदी 1.1 कि.मी., बिलासपुर शहर 3 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन बिलासपुर 6.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.9 कि.मी. है। अरपा नदी 4.8 कि.मी. एवं गोकेना नाला 0.4 कि.मी. है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उद्योग वर्ष 2013–14 से बंद है। वर्तमान में उद्योग का नाम मेसर्स शकुन स्पंज आयरन प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है। जिसे क्रय किए जाने के लिए अनुबंध किया गया है। वर्तमान में उद्योग का नाम परिवर्तन हेतु डी.आई.सी. एवं भूमि हस्तांतरण के लिए सी.एस.आई.डी.सी. में आवेदन किया गया है। उक्त दस्तावेज फाईनल ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत कर दी जाएगी।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल – 9.76 एकड़ है, जिसमें से प्लांट का क्षेत्रफल 3 एकड, रॉ–मटेरियल स्टोरेज यार्ड का क्षेत्रफल 1 एकड, प्रोडक्ट स्टोरेज यार्ड का क्षेत्रफल 0.6 एकड, सॉलिड वेस्ट स्टोरेज यार्ड का क्षेत्रफल

0.36 एकड़, आंतरिक मार्ग का क्षेत्रफल 1 एकड़, वॉटर रिर्जवायर एवं आर.डब्ल्यू. एच. का क्षेत्रफल 0.1 एकड़ एवं पार्किंग का क्षेत्रफल 0.3 एकड़ तथा हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल – 3.4 एकड़ (34.8 प्रतिशत) होगा। इस प्रकार प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित नहीं किया जाएगा।

4. **रॉ–मटेरियल** – प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् डीआरई किल्न में रॉ–मटेरियल के रूप में आयरन ओर – 66,000 टन प्रतिवर्ष, इण्डियन कोल – 53,625 टन प्रतिवर्ष, इम्पोर्टेड कोल – 37,125 टन प्रतिवर्ष एवं डोलोमाईट – 2,000 टन प्रतिवर्ष का उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में रॉ–मटेरियल का परिवहन रेल एवं सड़क के माध्यम से ढंके हुए वाहनों द्वारा किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी।

5. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

Product	Existing Plant	Proposed Expansion
DRI Kiln (Sponge Iron)	1 X 50 TPD (15,000 TPA)	1 X 50 TPD (15,000 TPA To 16,500 TPA by increase in the no. of days from 300 to 330 days)
		1 X 125 TPD (41,250 TPA) Total production = 57,750 TPA

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में स्पंज आयरन इकाई (1 X 50 TPD) से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर कम करने के उद्देश्य से वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वॉटर स्क्रबर स्थापित है। पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर कम करने के उद्देश्य से स्पंज आयरन इकाई में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ई.एस.पी. स्थापित किया जा रहा है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु स्पंज आयरन इकाई (1 X 125 TPD) से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम करने के उद्देश्य से वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ई.एस.पी. स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वर्तमान में स्पंज आयरन प्लांट से डोलोचार – 15 टन प्रतिदिन, ऐश – 9 टन प्रतिदिन, वेट स्क्रैपर स्लज – 2.3 टन प्रतिदिन एवं किल्न एक्रेशन स्लेग – 0.45 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् स्पंज आयरन प्लांट से डोलोचार – 37.5 टन प्रतिदिन, ऐश – 22.5 टन प्रतिदिन, वेट स्क्रैपर स्लज – 5.75 टन प्रतिदिन एवं किल्न एक्रेशन स्लेग – 1.12 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। डोलोचार को एफ.बी.सी. आधारित पॉवर प्लांट को उपलब्ध कराया जाएगा। ऐश को ईंट निर्माण इकाईयों को उपलब्ध कराया जाएगा। वेट स्क्रैपर स्लज को सड़क निर्माण में उपयोग हेतु एवं ईंट निर्माण इकाईयों को उपलब्ध कराया जाएगा। किल्न एक्रेशन स्लेग को सड़क निर्माण में उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में जनित ठोस अपशिष्ट के अपवहन हेतु उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

11/10/19

8. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 20 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन, औद्योगिक उपयोग हेतु 15 घनमीटर प्रतिदिन) जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् परियोजना हेतु कुल 60 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 50 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति सी.एस.आई.डी.सी. लिमिटेड से किया जाना प्रस्तावित है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् उपरोक्त व्यवस्था अपनाई जाएगी। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट का निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सब–सरफेस डीसपर्सन ट्रेंच से किया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। वर्तमान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण के अनुसार उद्योग स्थल सेमीक्रिटिकल जोन के अंतर्गत आता है. केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस दिनांक 01/03/2019 अनुसार Over exploited, critical and semi-critical assessment unit में स्थापित इकाइयों, इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट एवं माइनिंग प्रोजेक्ट्स को भू–जल उपयोग की अनुमति नहीं दिया जाना है, फलस्वरुप उद्योग को औद्योगिक कार्य हेतु भू–जल दोहन की अनुमति नहीं होगी। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 2 नग रिचार्ज पिट (त्रिज्या 1 मीटर एवं गहराई 2 मीटर) निर्मित किया गया है। उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 22.019 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत कुल 5 नग रिचार्ज पिट (त्रिज्या 2 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

11/10/19

9. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् परियोजना हेतु कुल 2 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट का उपयोग किया जाएगा।

10. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 3.4 एकड (34.8 प्रतिशत) क्षेत्र में पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है।

11. ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 15/10/2019 से आरंभ किया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त बिन्दुओं सहित जारी किए जाने की अनुशंसा की गई:–

1. Project proponent shall submit land ownership document.
2. Project proponent shall submit copy of NOC from CSIDC for use of surface water. No ground water shall be used for expansion activity.
3. Project proponent shall submit layout ensuring minimum 15 meter wide green belt for along the plant periphery.
4. Project proponent shall ensure reduction of paticulate matter emmision form 50 mg/Nm^3 to 30 mg/Nm^3 for existing unit.
5. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
6. Project Proponent shall submit details of STP with zero discharge.
7. Project proponent shall submit compliance report from Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board if any violation related to environmental pollution committed by industry in last one year and the remedial measures taken in this regard.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. सरपंच, ग्राम पंचायत ससकोबा, ग्राम–ससकोबा, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 757)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 89786/2019, दिनांक 27/12/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 03/01/2019 एवं 21/06/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 22/05/2019 एवं 09/08/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–ससकोबा, ग्राम पंचायत ससकोबा, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 893, कुल लीज क्षेत्र 2.54 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन माण्ड नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–50,800 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत ससकोबा का दिनांक 08/12/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/12/2018 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 2003/ख.लि.–3/2018, रायगढ़ दिनांक 12/12/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
5. निकटतम आबादी ग्राम–ससकोबा 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 7.5 कि.मी. दूर है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
7. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 150 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 85 मीटर दर्शाई गई है।
8. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। आवेदन अनुसार खदान में उपलब्ध रेत की मात्रा – 1,01,600 घनमीटर है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 292वीं बैठक दिनांक 16/09/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ़ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 296वीं बैठक दिनांक 10/10/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स क्वीन्स ग्रीन इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–नवागांव एवं तुता, सेक्टर–24, अटल नगर, तहसील–अभनपुर, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 919)

ऑनलाईन आवेदन– प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एनसीपी/ 39145/ 2019, दिनांक 12/07/2019।

प्रस्ताव का विवरण –

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–नवागांव एवं तुता, सेक्टर–24, अटल नगर, तहसील–अभनपुर, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 4/2, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/9, 8/10, 11, 12, 13, 14, 15/1,

11/10/19

17, 18, 19, 20/1, 20/2, 20/3, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 29, 23/1, 32/2, 35/1, 35/2, 36, 37/1, 37/2, 38/1, 38/2, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46/1, 46/2, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 75, 76/1, 76/2, 77, 79, 80, 81, 87, 88, 250/1, 250/2, 493/6, 493/7, 493/8, 493/6, 505, 506, 507/1, 507/2, 507/3, 507/4, 507/5, 507/6, 508/1, 508/2, 508/3, 509/1, 509/2, 509/3, 510/1, 510/2, 510/3, 510/4, 510/5, 511/1, 511/2, 511/3, 511/4, 511/5, 511/6, 511/7, 511/8, 511/9, 511/10, 511/11, 511/12, 512/1, 512/2, 513, 514, 526/2, 526/3, 526/4, 526/7, 531/2, 531/4, 531/5, 531/6, 531/7, 531/8, 531/9, 531/10, 531/11, 531/12, 531/13, 531/14, 532, 533/5, 533/8, 541, 542, 543/1, 543/2, 546/1, 546/2, 546/3, 547, 548, 549/1, 549/2, 549/3, 549/4, 549/5, 549/6, 549/7, 549/8, 549/9, 549/10, 549/11, 549/12, 550/1, 550/2, 550/3, 550/4, 550/5, 551/1, 551/2, 551/3, 551/4, 551/5, 551/6, 551/7, 552/1, 552/2, 552/3, 552/4, 552/5, 552/6, 552/7, 553, 598/4, 599, 600, 602/1 एवं 602/2 में प्रस्तावित रेसीडेंशियल कॉम्पलेक्स (गोल्फ कोर्स) प्रोजेक्ट का प्लॉट क्षेत्रफल – 5,61,723.6 वर्गमीटर (56.17 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु टी.ओर.आर. बाबत् आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपये 65 लाख होगा।

2. **विकास अनुज्ञा** – संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक 5228, दिनांक 14/06/2017 द्वारा गोल्फ कोर्स प्रयोजन हेतु विकास अनुज्ञा जारी किया गया है। तत्पश्चात संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक 13474, दिनांक 22/11/2017 द्वारा गोल्फ कोर्स प्रयोजन हेतु संशोधित विकास अनुज्ञा जारी किया गया है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S. No.	Area Statement	Details (Square meter)
1.	Total Land Available	5,61,723.6
2.	Golf Course	3,78,539.8
3.	Golf Parking and Roads	31,160.2
4.	Admin Building and Club House	20,998.94
5.	Parking [Admin Building and Club]	3,221.97
6.	Residential Area	84,139.8
7.	OSR	13,008.15
8.	Residential and Commercial Roads	2,5091.4
9.	Commercial	5,563
10.	**Total construction area**	**5,61,723.6**

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. सक्षम अधिकारी द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) द्वारा विकास अनुज्ञा में वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 292वीं बैठक दिनांक 16/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 16/09/2019 द्वारा सूचना दी गई है कि अपरिहार्य कारणों से उनका समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 296वीं बैठक दिनांक 10/10/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/10/2019 को सूचना दी गई कि उनके द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन पर त्रुटि होने के कारण पुनः आवेदन किया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र को स्वीकार करते हुए प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स पी.आर.ए. ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज (करकोटी ब्रिक्स अर्थक्ले क्वारी माईन एण्ड फिक्स्ड चिमनी ब्रिक प्लांट) ग्राम–करकोटी व तहसील–भैयाथान, जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 926)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40077/2019, दिनांक 27/07/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित गौण खनिज उत्खनन खदान एवं ईंट उत्पादन इकाई है। ग्राम–करकोटी, तहसील–भैयाथान, जिला–सूरजपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा

Archeeyahe
11/10/19

क्रमांक 468, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित गौण खनिज उत्खनन क्षमता – 893.53 घनमीटर प्रतिवर्ष (ईंट उत्पादन 8,50,250 नग प्रतिवर्ष) है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज उत्खनन खदान एवं ईंट उत्पादन इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत करकोटी का दिनांक 19/11/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1308/खनिज/2018 सूरजपुर, दिनांक 10/09/2018 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 321/खनिज/2019 सूरजपुर, दिनांक 18/02/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1200/खनिज/ई–निविदा–करकोटी/2018 सूरजपुर, दिनांक 04/08/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई हैं।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 22/08/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21/08/2019 को सूचना दी गई कि अपरिहार्य कारणों से उनका समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. लीज सीमा से गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु सक्षम अधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ के ज्ञापन दिनांक 11/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 294वीं बैठक दिनांक 18/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 17/09/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 296वीं बैठक दिनांक 10/10/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 09/10/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–5: छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश दिनांक 10/07/2019 के परिपेक्ष्य में उद्योगों को जारी टीओआर के आधार पर लोक सुनवाई के संबंध में मार्गदर्शन बाबत्।

1. मेसर्स सुनील मेन्यूफेक्चरिंग एण्ड ट्रेडिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–सरोरा, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 758)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 30362/ 2018, दिनांक 18/12/2018।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–सरोरा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 248/7(पी), 248/10(पी), 248/5(पी), 247/12(ख)(पी), 249/34(पी) एवं 248/18(पी), कुल क्षेत्रफल – 1.214 हेक्टेयर में एम.एस. बिलेट्स (थ्रू इण्डक्शन फर्नेंस) क्षमता–3,16,800 टन प्रतिवर्ष (4 नग गुणा 20 टन) के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टीओआर बाबत् आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपए 14 करोड़ होगा।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 107, दिनांक 10/05/2019 द्वारा उद्योग को प्रकरण 'बी–1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन दिनांक 05/09/2019 द्वारा निम्न एन.जी.टी. के आदेश के परिपेक्ष्य में "पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई कराए जाने अथवा नहीं कराए जाने के संबंध में" मार्गदर्शन चाहा गया है:–

1. माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 1038 ऑफ 2018 में दिनांक 10/07/2019 को आदेश पारित किया गया है। आदेश में वर्ष 2018 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई मॉनिटरिंग के आधार पर देश के 100 प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र/ समूहों का अवरोही CEPI Score का विवरण किया गया है। उक्त तालिका में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र निम्नानुसार है:–

Sl. No.	Name of Polluted Industrial Areas (PIAs)	Air	Water	Land	CEPI Score	Status of Environment
19.	Siltara Industrial Area (Chhattisgarh)	76.00	51.75	31.75	79.94	Ac_Ws_Ln
37.	Raipur (Chhattisgarh)	67.00	45.75	25.00	70.77	Ac_Ws_Ln
76.	Korba (Chhattisgarh)	43.75	17.75	54.00	57.57	An_Wn_Ls
93.	Bhilai-Durg (Chhattisgarh)	43.00	32.75	19.75	46.69	An_Wn_Ln

2. पारित आदेश के पैरा (28) में मुख्य रूप से निम्नानुसार उल्लेख है:–

"Accordingly, we direct the CPCB in coordination with all State PCBs/PCCs to take steps in exercise of statutory powers under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act,1981, Water (Prevention and Control of Pollution) Act,1974, Environment (Protection) Act,1986 or any other law to prohibit operation of polluting activities in the said CPAs and SPAs within three months and furnish a compliance report to this Tribunal."

एवं

"No Further industrial activities or expansion be allowed with regard to 'red' and 'orange' category units till the said areas are brought within the prescribed parameters or till carrying capacity of area is assessed and new

11/10/19

units or expansion is found viable having regard to the carrying capacity of the area and evironmental norms."

3. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली के समक्ष वर्ष 2018 के CEPI Score अनुसार सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र, छत्तीसगढ़ तथा रायपुर, छत्तीसगढ़ में वायु की गुणवत्ता क्रिटिकल होना बताया गया है।

4. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों अनुसार "Any project or activity specified in Category 'B' will be appraised at the Central Level as Category 'A' if located in whole or in part within 5 km from the boundary of: (i) Protected Areas notified under the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972); (ii) Critically Polluted areas as notified by Central Pollution Control Board constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) from time to time; (iii) Eco-sensitive areas as notified under sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 and (iv) inter-State boundaries and international boundaries; provided that for River Valley Projects specified in item 1(c), Thermal Power Plants specified in item 1(d), Industrial Estates/parks/complexes/areas, Export Processing Zones (EPZ), Special Economic Zones (SEZs), biotech parks, leather complexes specified in item 7 (c) and common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs) specified in item 7 (d), the appraisal shall be made at Central level even if located within 10 km."

(अ) समिति की 296वीं बैठक दिनांक 10/10/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण, तथा **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली के उपरोक्त आदेश अनुसार प्रकरण पर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर भी पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की जा सकती है। अतः परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित करते हुए आगामी कार्यवाही किया जाए।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (रोलिंग मिल डिविजन युनिट–1) ग्राम–गोगांव, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 752)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/आईएनडी/ 29823/ 2018, दिनांक 14/11/2018।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा आधुनिकीकरण (Modification) के तहत् ग्राम–गोगांव, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 130/1 एवं अन्य, कुल क्षेत्रफल – 13.78 हेक्टेयर (34.04 एकड़) में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। आधुनिकीकरण (Modification)/क्षमता विस्तार हेतु परियोजना का विनियोग रुपये 7 करोड़ होगा। प्रस्ताव निम्नानुसार है:–

S.N.	Unit	Existing Plant	Proposed Modification/ Expansion	After Proposed Modification
1.	Mill - 1	1.5 LTPA	1.0 LTPA	2.5 LTPA
2.	Mill - 2	1.8 LTPA	0.7 LTPA	2.5 LTPA

3.	Coal Gasifier	8,000 NM^3/hr 6 No.s. (4W+2SB)	–	8,000 NM^3/hr 6 No.s. (4W+2SB)

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 533, दिनांक 01/03/2019 द्वारा उद्योग को प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन दिनांक 05/09/2019 द्वारा निम्न एन.जी.टी. के आदेश के परिपेक्ष्य में "पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई कराए जाने अथवा नहीं कराए जाने के संबंध में" मार्गदर्शन चाहा गया है:–

1. माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 1038 ऑफ 2018 में दिनांक 10/07/2019 को आदेश पारित किया गया है। आदेश में वर्ष 2018 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई मॉनिटरिंग के आधार पर देश के 100 प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र/ समूहों का अवरोही CEPI Score का विवरण किया गया है। उक्त तालिका में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र निम्नानुसार हैं:–

Sl. No.	Name of Polluted Industrial Areas (PIAs)	Air	Water	Land	CEPI Score	Status of Environment
19.	Siltara Industrial Area (Chhattisgarh)	76.00	51.75	31.75	79.94	Ac_Ws_Ln
37.	Raipur (Chhattisgarh)	67.00	45.75	25.00	70.77	Ac_Ws_Ln
76.	Korba (Chhattisgarh)	43.75	17.75	54.00	57.57	An_Wn_Ls
93.	Bhilai-Durg (Chhattisgarh)	43.00	32.75	19.75	46.69	An_Wn_Ln

2. पारित आदेश के पैरा (28) में मुख्य रूप से निम्नानुसार उल्लेख है:–

"Accordingly, we direct the CPCB in coordination with all State PCBs/PCCs to take steps in exercise of statutory powers under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act,1981, Water (Prevention and Control of Pollution) Act,1974, Environment (Protection) Act,1986 or any other law to prohibit operation of polluting activities in the said CPAs and SPAs within three months and furnish a compliance report to this Tribunal."

एवं

"No Further industrial activities or expansion be allowed with regard to 'red' and 'orange' category units till the said areas are brought within the prescribed parameters or till carrying capacity of area is assessed and new units or expansion is found viable having regard to the carrying capacity of the area and evironmental norms."

11/10/19

3. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली के समक्ष वर्ष 2018 के CEPI Score अनुसार सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र, छत्तीसगढ़ तथा रायपुर, छत्तीसगढ़ में वायु की गुणवत्ता क्रिटिकल होना बताया गया है।

4. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों अनुसार "Any project or activity specified in Category 'B' will be appraised at the Central Level as Category 'A' if located in whole or in part within 5 km from the boundary of: (i) Protected Areas notified under the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972); (ii) Critically Polluted areas as notified by Central Pollution Control Board constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) from time to time; (iii) Eco-sensitive areas as notified under sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 and (iv) inter-State boundaries and international boundaries; provided that for River Valley Projects specified in item 1(c), Thermal Power Plants specified in item 1(d), Industrial Estates/parks/complexes/areas, Export Processing Zones (EPZ), Special Economic Zones (SEZs), biotech parks, leather complexes specified in item 7 (c) and common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs) specified in item 7 (d), the appraisal shall be made at Central level even if located within 10 km."

(अ) समिति की 296वीं बैठक दिनांक 10/10/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण, तथा **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली के उपरोक्त आदेश अनुसार प्रकरण पर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर भी पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की जा सकती है। अतः परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित करते हुए आगामी कार्यवाही किया जाए।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (वायर रॉड मिल डिविजन युनिट–2) ग्राम–गोगांव, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 753)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 29825/ 2018, दिनांक 14/10/2018।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा आधुनिकीकरण (Modification) के तहत् ग्राम–गोगांव, तहसील व जिला–रायपुर स्थित 130/4 एवं अन्य, कुल क्षेत्रफल – 6.14 हेक्टेयर (15.18 एकड़) में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। आधुनिकीकरण (Modification) हेतु परियोजना का विनियोग रुपये 3 करोड़ होगा। प्रस्ताव निम्नानुसार है:–

S.N.	Unit	Existing Plant	Proposed Modification	After Proposed Modification
1.	Mill - 1	1.8 LTPA	0.7 LTPA	2.5 LTPA
2.	Mill - 2	2.5 LTPA	-	2.5 LTPA
3.	Coal Gasifier	8,000 NM^3/hr 3 No.s. (2W+1SB)	-	8,000 NM^3/hr 3 No.s. (2W+1SB)

11/10/19

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 535, दिनांक 01/03/2019 द्वारा उद्योग को प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन दिनांक 05/09/2019 द्वारा निम्न एन.जी.टी. के आदेश के परिपेक्ष्य में "पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई कराए जाने अथवा नहीं कराए जाने के संबंध में" मार्गदर्शन चाहा गया है:–

1. माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 1038 ऑफ 2018 में दिनांक 10/07/2019 को आदेश पारित किया गया है। आदेश में वर्ष 2018 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई मॉनिटरिंग के आधार पर देश के 100 प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र/ समूहों का अवरोही CEPI Score का विवरण किया गया है। उक्त तालिका में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र निम्नानुसार हैं:–

Sl. No.	Name of Polluted Industrial Areas (PIAs)	Air	Water	Land	CEPI Score	Status of Environment
19.	Siltara Industrial Area (Chhattisgarh)	76.00	51.75	31.75	79.94	Ac_Ws_Ln
37.	Raipur (Chhattisgarh)	67.00	45.75	25.00	70.77	Ac_Ws_Ln
76.	Korba (Chhattisgarh)	43.75	17.75	54.00	57.57	An_Wn_Ls
93.	Bhilai-Durg (Chhattisgarh)	43.00	32.75	19.75	46.69	An_Wn_Ln

2. पारित आदेश के पैरा (28) में मुख्य रूप से निम्नानुसार उल्लेख है:–

"Accordingly, we direct the CPCB in coordination with all State PCBs/PCCs to take steps in exercise of statutory powers under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act,1981, Water (Prevention and Control of Pollution) Act,1974, Environment (Protection) Act,1986 or any other law to prohibit operation of polluting activities in the said CPAs and SPAs within three months and furnish a compliance report to this Tribunal."

एवं

"No Further industrial activities or expansion be allowed with regard to 'red' and 'orange' category units till the said areas are brought within the prescribed parameters or till carrying capacity of area is assessed and new units or expansion is found viable having regard to the carrying capacity of the area and evironmental norms."

3. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली के समक्ष वर्ष 2018 के CEPI Score अनुसार सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र, छत्तीसगढ़ तथा रायपुर, छत्तीसगढ़ में वायु की गुणवत्ता क्रिटिकल होना बताया गया है।

4. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों अनुसार "Any project or activity specified in Category 'B' will be appraised at the Central Level as Category 'A' if located in whole or in part within 5 km from the boundary of: (i) Protected Areas notified under the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972); (ii) Critically Polluted areas as notified by Central Pollution Control Board constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) from time to time; (iii) Eco-sensitive areas as notified under sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 and (iv) inter-State boundaries and international boundaries; provided that for River Valley Projects specified in item 1(c), Thermal Power Plants specified in item 1(d), Industrial Estates/parks/complexes/areas, Export Processing Zones (EPZ), Special Economic Zones (SEZs), biotech parks, leather complexes specified in item 7 (c) and common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs) specified in item 7 (d), the appraisal shall be made at Central level even if located within 10 km."

(अ) समिति की 296वीं बैठक दिनांक 10/10/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण, तथा **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली के उपरोक्त आदेश अनुसार प्रकरण पर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर भी पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की जा सकती है। अतः परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित करते हुए आगामी कार्यवाही किया जाए।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स इस्पात इंडिया, प्लाट नं. 4 एवं 9, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, फेज 2, सिलतरा, तहसील व जिला रायपुर (728ए)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 27903/ 2018, दिनांक 28/06/2018।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् प्लाट नं. 4 एवं 9, कुल एरिया 1.59 हेक्टेयर, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, फेज 2, सिलतरा, तहसील व जिला रायपुर में एम.एस बिलेट्स (थ्रु इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता–59,000 टन/वर्ष से 1,46,520 टन/वर्ष एवं रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता–55,000 टन/वर्ष से 1,39,194 टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टीओआर बाबत् आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार के पश्चात् परियोजना का विनियोग रुपये 45.60 करोड़ होगा।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 330, दिनांक 04/12/2018 द्वारा उद्योग को प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु जारी किया गया है।

11/10/19

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन दिनांक 05/09/2019 द्वारा निम्न एन.जी.टी. के आदेश के परिपेक्ष्य में "पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई कराए जाने अथवा नहीं कराए जाने के संबंध में" मार्गदर्शन चाहा गया है:–

1. माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 1038 ऑफ 2018 में दिनांक 10/07/2019 को आदेश पारित किया गया है। आदेश में वर्ष 2018 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई मॉनिटरिंग के आधार पर देश के 100 प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र/ समूहों का अवरोही CEPI Score का विवरण किया गया है। उक्त तालिका में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र निम्नानुसार हैं:–

Sl. No.	Name of Polluted Industrial Areas (PIAs)	Air	Water	Land	CEPI Score	Status of Environment
19.	Siltara Industrial Area (Chhattisgarh)	76.00	51.75	31.75	79.94	Ac_Ws_Ln
37.	Raipur (Chhattisgarh)	67.00	45.75	25.00	70.77	Ac_Ws_Ln
76.	Korba (Chhattisgarh)	43.75	17.75	54.00	57.57	An_Wn_Ls
93.	Bhilai-Durg (Chhattisgarh)	43.00	32.75	19.75	46.69	An_Wn_Ln

2. पारित आदेश के पैरा (28) में मुख्य रूप से निम्नानुसार उल्लेख है:–

"Accordingly, we direct the CPCB in coordination with all State PCBs/PCCs to take steps in exercise of statutory powers under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act,1981, Water (Prevention and Control of Pollution) Act,1974, Environment (Protection) Act,1986 or any other law to prohibit operation of polluting activities in the said CPAs and SPAs within three months and furnish a compliance report to this Tribunal."

एवं

"No Further industrial activities or expansion be allowed with regard to 'red' and 'orange' category units till the said areas are brought within the prescribed parameters or till carrying capacity of area is assessed and new units or expansion is found viable having regard to the carrying capacity of the area and evironmental norms."

3. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली के समक्ष वर्ष 2018 के CEPI Score अनुसार सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र, छत्तीसगढ़ तथा रायपुर, छत्तीसगढ़ में वायु की गुणवत्ता क्रिटिकल होना बताया गया है।

4. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों अनुसार "Any project or activity specified in Category 'B' will be appraised at the Central Level as Category 'A' if located in whole or in part within 5 km from the boundary of: (i) Protected Areas notified under the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972); (ii) Critically Polluted areas as notified by Central Pollution Control Board constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) from time to time; (iii) Eco-sensitive areas as notified under sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 and (iv) inter-State boundaries and international boundaries; provided that for River Valley Projects specified in item 1(c), Thermal Power Plants

11/10/19

specified in item 1(d), Industrial Estates/parks/complexes/areas, Export Processing Zones (EPZ), Special Economic Zones (SEZs), biotech parks, leather complexes specified in item 7 (c) and common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs) specified in item 7 (d), the appraisal shall be made at Central level even if located within 10 km."

(अ) समिति की 296वीं बैठक दिनांक 10/10/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण, तथा **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली के उपरोक्त आदेश अनुसार प्रकरण पर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर भी पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की जा सकती है। अतः परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित करते हुए आगामी कार्यवाही किया जाए।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स आर.आर. इस्पात (ए युनिट ऑफ गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड), ग्राम–उरला, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 732)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 28324/ 2018, दिनांक 19/07/2018।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् ग्राम–उरला, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 490/1, 237/3, 237/6, 476/2, 483, 484, 485,(पार्ट), 486, 490/2, (पार्ट), 487, (पार्ट), 488, 489/2, (पार्ट), 474(पार्ट), 489, 490/2 489/1, 488, 497, 485, 486, 490/2, (पार्ट), 496 (पार्ट), 239/1, 239/2, 240, 241, 236/1, 236/2, 327/1, 327/2, 327/2, 327/3, 328/1, 328/2, 330/1, 330/2, 271/6, 324/1, 271/5, एवं कुल क्षेत्रफल – 5.348 हेक्टेयर, में रोलिंग मिल क्षमता–2,14,000 टन प्रतिवर्ष से 3,00,000 टन प्रतिवर्ष (हॉट चार्जिंग आधारित 1,00,000 टन प्रतिवर्ष एवं री–हीटिंग आधारित 2,00,000 टन प्रतिवर्ष) एवं backward integration के तहत् स्टील मेल्टिंग शॉप विथ एल.आर.एफ. क्षमता–2,45,000 टन प्रतिवर्ष (15 टन गुणा 06 नग) के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टीओआर बाबत् आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार एवं backward integration के पश्चात् परियोजना का विनियोग रुपए 48.50 करोड़ होगा।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 517, दिनांक 25/02/2019 द्वारा उद्योग को प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन दिनांक 05/09/2019 द्वारा निम्न एन.जी.टी. के आदेश के परिपेक्ष्य में "पर्यावरणीय

स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई कराए जाने अथवा नहीं कराए जाने के संबंध में" मार्गदर्शन चाहा गया है:–

1. माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 1038 ऑफ 2018 में दिनांक 10/07/2019 को आदेश पारित किया गया है। आदेश में वर्ष 2018 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई मॉनिटरिंग के आधार पर देश के 100 प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र/ समूहों का अवरोही CEPI Score का विवरण किया गया है। उक्त तालिका में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र निम्नानुसार है:–

Sl. No.	Name of Polluted Industrial Areas (PIAs)	Air	Water	Land	CEPI Score	Status of Environment
19.	Siltara Industrial Area (Chhattisgarh)	76.00	51.75	31.75	79.94	Ac_Ws_Ln
37.	Raipur (Chhattisgarh)	67.00	45.75	25.00	70.77	Ac_Ws_Ln
76.	Korba (Chhattisgarh)	43.75	17.75	54.00	57.57	An_Wn_Ls
93.	Bhilai-Durg (Chhattisgarh)	43.00	32.75	19.75	46.69	An_Wn_Ln

2. पारित आदेश के पैरा (28) में मुख्य रूप से निम्नानुसार उल्लेख है:–

"Accordingly, we direct the CPCB in coordination with all State PCBs/PCCs to take steps in exercise of statutory powers under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act,1981, Water (Prevention and Control of Pollution) Act,1974, Environment (Protection) Act,1986 or any other law to prohibit operation of polluting activities in the said CPAs and SPAs within three months and furnish a compliance report to this Tribunal."

एवं

"No Further industrial activities or expansion be allowed with regard to 'red' and 'orange' category units till the said areas are brought within the prescribed parameters or till carrying capacity of area is assessed and new units or expansion is found viable having regard to the carrying capacity of the area and evironmental norms."

3. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली के समक्ष वर्ष 2018 के CEPI Score अनुसार सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र, छत्तीसगढ़ तथा रायपुर, छत्तीसगढ़ में वायु की गुणवत्ता क्रिटिकल होना बताया गया है।

4. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों अनुसार "Any project or activity specified in Category 'B' will be appraised at the Central Level as Category 'A' if located in whole or in part within 5 km from the boundary of: (i) Protected Areas notified under the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972); (ii) Critically Polluted areas as notified by Central Pollution Control Board constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) from time to time; (iii) Eco-sensitive areas as notified under sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 and (iv) inter-State boundaries and international boundaries; provided that for River Valley Projects specified in item 1(c), Thermal Power Plants specified in item 1(d), Industrial Estates/parks/complexes/areas, Export Processing Zones (EPZ), Special Economic Zones (SEZs), biotech parks, leather complexes specified in item 7 (c) and common hazardous waste

treatment, storage and disposal facilities (TSDFs) specified in item 7 (d), the appraisal shall be made at Central level even if located within 10 km."

(अ) समिति की 296वीं बैठक दिनांक 10/10/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण, तथा **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली के उपरोक्त आदेश अनुसार प्रकरण पर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर भी पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की जा सकती है। अतः परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित करते हुए आगामी कार्यवाही किया जाए।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स हिंदुस्तान क्वाईल लिमिटेड, ग्राम–सिलतरा, फेज–I, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, जिला–रायपुर (728)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 27878/ 2018, दिनांक 25/06/2018।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् प्लांट नं. 19 एवं 20, कुल एरिया 5.53 एकड़, ग्राम–सिलतरा, फेज–I, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, जिला–रायपुर में एम.एस. बिलेट्स क्षमता (थ्रु इण्डक्शन फर्नेस) – 60,000 टन/वर्ष से 1,58,400 टन/वर्ष एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट क्षमता (थ्रु ऑनलाईन हॉट चार्जिंग) – 56,745 टन/वर्ष से 1,50,480 टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टीओआर बाबत् आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार के पश्चात् परियोजना का विनियोग रुपये 3101 लाख प्रस्तावित है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 378, दिनांक 21/12/2018 द्वारा उद्योग को प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन दिनांक 23/09/2019 द्वारा निम्न एन.जी.टी. के आदेश के परिपेक्ष्य में "पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई कराए जाने अथवा नहीं कराए जाने के संबंध में" मार्गदर्शन चाहा गया है:–

1. माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 1038 ऑफ 2018 में दिनांक 10/07/2019 को आदेश पारित किया गया है। आदेश में वर्ष 2018 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई मॉनिटरिंग के आधार पर देश के 100 प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र/ समूहों का अवरोही CEPI Score का विवरण किया गया है। उक्त तालिका में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र निम्नानुसार हैं:–

Sl. No.	Name of Polluted Industrial Areas (PIAs)	Air	Water	Land	CEPI Score	Status of Environment
19.	Siltara Industrial Area (Chhattisgarh)	76.00	51.75	31.75	79.94	Ac_Ws_Ln
37.	Raipur (Chhattisgarh)	67.00	45.75	25.00	70.77	Ac_Ws_Ln
76.	Korba (Chhattisgarh)	43.75	17.75	54.00	57.57	An_Wn_Ls
93.	Bhilai-Durg (Chhattisgarh)	43.00	32.75	19.75	46.69	An_Wn_Ln

2. पारित आदेश के पैरा (28) में मुख्य रूप से निम्नानुसार उल्लेख है:-

"Accordingly, we direct the CPCB in coordination with all State PCBs/PCCs to take steps in exercise of statutory powers under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act,1981, Water (Prevention and Control of Pollution) Act,1974, Environment (Protection) Act,1986 or any other law to prohibit operation of polluting activities in the said CPAs and SPAs within three months and furnish a compliance report to this Tribunal."

एवं

"No Further industrial activities or expansion be allowed with regard to 'red' and 'orange' category units till the said areas are brought within the prescribed parameters or till carrying capacity of area is assessed and new units or expansion is found viable having regard to the carrying capacity of the area and evironmental norms."

3. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली के समक्ष वर्ष 2018 के CEPI Score अनुसार सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र, छत्तीसगढ़ तथा रायपुर, छत्तीसगढ़ में वायु की गुणवत्ता क्रिटिकल होना बताया गया है।

4. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों अनुसार "Any project or activity specified in Category 'B' will be appraised at the Central Level as Category 'A' if located in whole or in part within 5 km from the boundary of: (i) Protected Areas notified under the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972); (ii) Critically Polluted areas as notified by Central Pollution Control Board constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) from time to time; (iii) Eco-sensitive areas as notified under sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 and (iv) inter-State boundaries and international boundaries; provided that for River Valley Projects specified in item 1(c), Thermal Power Plants specified in item 1(d), Industrial Estates/parks/complexes/areas, Export Processing Zones (EPZ), Special Economic Zones (SEZs), biotech parks, leather complexes specified in item 7 (c) and common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs) specified in item 7 (d), the appraisal shall be made at Central level even if located within 10 km."

(अ) समिति की 296वीं बैठक दिनांक 10/10/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण, तथा **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली के उपरोक्त आदेश अनुसार प्रकरण पर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर भी पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की जा सकती है। अतः परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित करते हुए आगामी कार्यवाही किया जाए।

11/10/19

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स हीरा स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–रावाभाटा, रावाभाटा इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील–रायपुर, जिला–रायपुर (664)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 21555/2018, दिनांक 06/01/2018।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् खसरा नं. 720/1, 720/2, 720/3, 720/4, 720/5, 720/6, 720/7, 720/8, 722/1, 722/2, 730/1, 730/2, 730/3, 730/4, 730/5, 730/6, 732/2, 735/2, 736, 737, 721/2, 723, 731, 732/1, 733 एवं 710/10, कुल एरिया 8.394 हेक्टेयर, ग्राम–रावाभाटा, रावाभाटा इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील–रायपुर, जिला–रायपुर में निम्नानुसार क्षमता विस्तार हेतु टीओआर बाबत् आवेदन किया गया है:–

कार्यकलाप	स्थापित क्षमता	क्षमता विस्तार उपरांत प्रस्तावित क्षमता
रोलिंग मिल विथ गैसीफायर	1,20,000 टन/वर्ष	2,40,000 टन/वर्ष
वॉयर ड्राइंग	60,000 टन/वर्ष	1,20,000 टन/वर्ष
इन्डक्शन फर्नेस विथ रोलिंग मिल (हॉट चार्जिंग)	–	3,00,000 टन/वर्ष
गैल्वेनाइजिंग यूनिट	–	50,000 टन/वर्ष
बाइन्डिंग वॉयर	–	50,000 टन/वर्ष

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 341, दिनांक 06/12/2018 द्वारा उद्योग को प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन दिनांक 23/09/2019 द्वारा निम्न एन.जी.टी. के आदेश के परिपेक्ष्य में "पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई कराए जाने अथवा नहीं कराए जाने के संबंध में" मार्गदर्शन चाहा गया है:–

1. माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 1038 ऑफ 2018 में दिनांक 10/07/2019 को आदेश पारित किया गया है। आदेश में वर्ष 2018 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई मॉनिटरिंग के आधार पर देश के 100 प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र/ समूहों का अवरोही CEPI Score का विवरण किया गया है। उक्त तालिका में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र निम्नानुसार हैं:–

Sl.	Name of Polluted	Air	Water	Land	CEPI	Status of

Acharyake 11/10/19

No.	Industrial Areas (PIAs)				Score	Environment
19.	Siltara Industrial Area (Chhattisgarh)	76.00	51.75	31.75	79.94	Ac_Ws_Ln
37.	Raipur (Chhattisgarh)	67.00	45.75	25.00	70.77	Ac_Ws_Ln
76.	Korba (Chhattisgarh)	43.75	17.75	54.00	57.57	An_Wn_Ls
93.	Bhilai-Durg (Chhattisgarh)	43.00	32.75	19.75	46.69	An_Wn_Ln

2. पारित आदेश के पैरा (28) में मुख्य रूप से निम्नानुसार उल्लेख है:-

"Accordingly, we direct the CPCB in coordination with all State PCBs/PCCs to take steps in exercise of statutory powers under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act,1981, Water (Prevention and Control of Pollution) Act,1974, Environment (Protection) Act,1986 or any other law to prohibit operation of polluting activities in the said CPAs and SPAs within three months and furnish a compliance report to this Tribunal."

एवं

"No Further industrial activities or expansion be allowed with regard to 'red' and 'orange' category units till the said areas are brought within the prescribed parameters or till carrying capacity of area is assessed and new units or expansion is found viable having regard to the carrying capacity of the area and evironmental norms."

3. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली के समक्ष वर्ष 2018 के CEPI Score अनुसार सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र, छत्तीसगढ़ तथा रायपुर, छत्तीसगढ़ में वायु की गुणवत्ता क्रिटिकल होना बताया गया है।

4. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों अनुसार "Any project or activity specified in Category 'B' will be appraised at the Central Level as Category 'A' if located in whole or in part within 5 km from the boundary of: (i) Protected Areas notified under the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972); (ii) Critically Polluted areas as notified by Central Pollution Control Board constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) from time to time; (iii) Eco-sensitive areas as notified under sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 and (iv) inter-State boundaries and international boundaries; provided that for River Valley Projects specified in item 1(c), Thermal Power Plants specified in item 1(d), Industrial Estates/parks/complexes/areas, Export Processing Zones (EPZ), Special Economic Zones (SEZs), biotech parks, leather complexes specified in item 7 (c) and common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs) specified in item 7 (d), the appraisal shall be made at Central level even if located within 10 km."

(अ) समिति की 296वीं बैठक दिनांक 10/10/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण, तथा **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली के उपरोक्त आदेश अनुसार प्रकरण पर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर भी पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की जा सकती है। अतः परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित करते हुए आगामी कार्यवाही किया जाए।

11/10/19

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–6: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय

1. **मेसर्स सन एण्ड सन इन्फामेट्रिक प्राइवेट लिमिटेड (प्रो.–श्री संदीप शर्मा), ग्राम–चिरहुलडीह, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 962)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 119713/ 2019, दिनांक 28/09/2019।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् खसरा क्रमांक 239/1, 239/5, 239/6, 422 (424/2, 425, 426), 423, 424/3, 427 एवं (मुख्यमंत्री आबादी पट्टा 13/1, 13/2 एवं 13/3), ग्राम–चिरहुलडीह, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लॉट में बिल्डिंग एवं कन्सट्रक्शन प्रोजेक्ट का भूमि क्षेत्रफल – 7,642 वर्गमीटर तथा बिल्टअप क्षेत्रफल – 15,550.48 वर्गमीटर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 296वीं बैठक दिनांक 10/10/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. आवेदन बिल्डिंग एवं कन्सट्रक्शन प्रोजेक्ट का भूमि क्षेत्रफल – 7,642 वर्गमीटर तथा बिल्टअप क्षेत्रफल – 15,550.48 वर्गमीटर है।
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा दिनांक 27/06/2019 को जारी संशोधित विकास अनुज्ञा ज्ञापन क्रमांक 29602/नग्रानि/धारा–'30'/पीएल–03 के अनुसार कुल बिल्टअप क्षेत्रफल – 15,550.48 वर्गमीटर है।
3. कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर में संशोधित विकास अनुज्ञा में उल्लेखित बिल्टअप क्षेत्रफल के लिए भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु आवेदन किया गया है।
4. ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधान अनुसार बिल्डिंग एवं कन्सट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जिनका क्षेत्रफल 20,000 वर्गमीटर से अधिक है, को पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल बिल्टअप क्षेत्रफल – 15550.48 वर्गमीटर हेतु आवेदन किया गया है। अतः ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधान के अनुसार उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है। अतः परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

Archana Rajput
11/10/19

2. सरपंच, ग्राम पंचायत कुरूद (कुटेला), ग्राम–कुरूद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 899)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 37416/2019, दिनांक 07/06/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–कुरूद, ग्राम पंचायत कुरूद (कुटेला), तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 2742, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–85,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कुरूद (कुटेला) दिनांक 28/04/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनिज प्रशा.) वास्ते कलेक्टर एवं सहायक खनिज अधिकारी, रायपुर द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 536, रायपुर, दिनांक 30/05/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य गौण खनिज की खदान की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, ऐनीकट, वाटर सप्लाई स्कीम, राष्ट्रीय राजमार्ग, अस्पताल, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल एवं अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक एवं खनि निरीक्षक को आगामी बैठक दिनांक 25/07/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 287वीं बैठक दिनांक 25/07/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती राजश्री साहू, सरपंच एवं श्री नरेन्द्र पटेल, सचिव, ग्राम पंचायत कुरूद (कुटेला) तथा श्री रोहित साहू, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति

द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. **सीमांकन** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

2. समीपस्थ आबादी ग्राम–कुरूद 1.75 कि.मी., शैक्षणिक संस्था ग्राम–कुरूद 1.75 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–समोदा 7.70 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.1 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 16.6 कि.मी. दूर है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौडाई – 1150 मीटर तथा खनन स्थल की चौडाई – 163.93 मीटर दर्शाई गई है।

5. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 85,000 घनमीटर है।

6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

7. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे इस मानसून में लगाए जाने हेतु निर्देश दिए गये।

8. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा लिखित आश्वासन (Commitment) प्रस्तुत किया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् रेत खदान के कुल पूंजीगत व्यय/लागत का 2 प्रतिशत राशि का व्यय गांव के शासकीय स्कूल में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था में किया जाएगा। इस बाबत् विस्तृत प्रस्ताव मय प्राक्कलन के एक माह में प्रस्तुत किया जाएगा।

9. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 3 गढ्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 5 मीटर है।

Aakanksha 11/10/19

11. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

12. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

13. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की प्रथम बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा तत्समय **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

(द) समिति की 296वीं बैठक दिनांक 10/10/2019:

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष उपस्थित होकर बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिए जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए प्रस्तुतीकरण दिये जाने की अनुमति प्रदान की गई। प्रस्तुतीकरण हेतु श्री द्वारिका प्रसाद साहू, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री एच.के. मारवाह, खनि अधिकारी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा समिति के समक्ष निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गये:-

   i. खनिज साधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-7-7/2004/12 दिनांक 2 मार्च 2006 के द्वारा "छत्तीसगढ़ गौण खनिज रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय के विनियमन निर्देश, 2006" जारी किया गया था। इसके अनुसार राज्य में "संबंधित ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगरीय निकाय जिसके क्षेत्र में रेत खदान स्थित है, को रायल्टी भुगतान कर गौण खनिज रेत का उत्खनन किया जा सकेगा। संबंधित ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगरीय निकाय रायल्टी का संग्रहण तथा रेत खदानों की व्यवस्था स्वतः करेगी, इस कार्य को ठेके पर देना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा" का प्रावधान था।

   ii. खनिज साधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना दिनांक 16 अगस्त, 2019 के द्वारा राज्य में गौण खनिज साधारण रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय के विनियमन हेतु "छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019" बनाया गया है। इस नियम में रेत उत्खनन नीलामी (रिवर्स ऑक्सन) के माध्यम से प्राप्त अधिमानी बोलीदार के द्वारा किये जाने का प्रावधान है।

iii. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019" के प्रावधानों अनुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन–6/नि.रेत (रिवर्स बिडिंग)/2019/2122 रायपुर, दिनांक 03/10/2019 द्वारा श्री आनंद कुमार अग्रवाल (अधिमानी बोलीदार) के नाम से एल.ओ.आई. जारी किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /क./ख.लि./तीन–6/रेत/2019/2147 रायपुर, दिनांक 09/10/2019 द्वारा पर्यावरण अनुमति को श्री आनंद कुमार अग्रवाल (अधिमानी बोलीदार) के नाम से जारी किए जाने बाबत् अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत जारी गया है।

v. अतः सरपंच, ग्राम पंचायत कुरूद (कुटेला) द्वारा वर्तमान में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन को एल.ओ.आई. धारक (अधिमानी बोलीदार) के नाम से हस्तांतरित करते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति श्री आनंद कुमार अग्रवाल (अधिमानी बोलीदार) के नाम से जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

3. पूर्व में दिए निर्देशानुसार प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे इस मानसून में लगाया जाना बताया गया है। इसके प्रामाणिकरण बाबत् फोटोग्राफ्स प्रस्तुत की गई है।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs.40.77	2%	Rs. 0.815	Following activity at Nearby Goverment School	
			Rain water harvesting	Rs. 0.815
			Total	**Rs. 0.815**

सी.ई.आर. **(Corporate Environment Responsibility)** का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाना बताया गया।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से

प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. सरपंच, ग्राम पंचायत कुरूद (कुटेला) द्वारा प्रस्तुत आवेदन को एल.ओ.आई. धारक श्री आनंद कुमार अग्रवाल (अधिमानी बोलीदार) के नाम से हस्तांतरित किये जाने के अनुरोध को मान्य किया गया।

2. आवेदित खदान (ग्राम-कुरूद) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पोस्ट-मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार प्री-मानसून में (रेत उत्खनन उपरांत (माह मई अंत)) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2019, 2020, 2021 एवं प्री-मानसून के आंकड़ें अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से **श्री आनंद कुमार अग्रवाल (अधिमानी बोलीदार) के नाम से** खसरा क्रमांक 2742, ग्राम-कुरूद, ग्राम पंचायत कुरूद (कुटेला), तहसील-आरंग, जिला-रायपुर, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट-01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ को तदनुसार सूचित किया जाए।

11/10/19

3. **मेसर्स बजरंग पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम–हाहालद्दी एवं चचड़, तहसील–दुर्गुकोंदल, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 795)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 33508/2019, दिनांक 23/03/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 18/06/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 06/07/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित आयरन ओर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–हाहालद्दी एवं चचड़, तहसील–दुर्गुकोंदल, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर स्थित वन कक्ष क्रमांक 641 एवं 642, कुल क्षेत्रफल – 75 हेक्टेयर में है। परियोजना प्रस्तावक क्षमता विस्तार के तहत् खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 0.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 1.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष (1.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष (Above threshold value, +45% Fe) एवं 0.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष (Below threshold value, -45% Fe which is part of overburden)) तथा आयरन ओर अपशिष्ट का उपयोग करने हेतु न्यू आयरन ओर बेनिफिशिऐशन प्लांट (प्राइमरी ड्राई/वेट) क्षमता – 0.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष के लिए आवेदन किया गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019:

समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। **समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था:–**

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 290वीं बैठक दिनांक 21/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री श्रवण कुमार गोयल, डॉयरेक्टर एवं श्री सरत कुमार आचार्य, वाइस प्रेसिडेंट उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 21/02/2018 द्वारा आयरन ओर उत्खनन क्षमता – 0.25 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 0.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।
2. **उत्खनन योजना** – रिव्यू ऑफ माईनिंग प्लान, प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक कांकेर/लौह/खयो/1191/2018, रायपुर दिनांक 28/02/2019 (अवधि 2019–20 से 2023–24 तक) द्वारा अनुमोदित है।

11/10/19

3. एल.ओ.आई. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के ज्ञापन दिनांक 10/11/2014 द्वारा 30 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया गया है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उ.ब.कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 762/खनिज/एम.एल. 51/2003 कांकेर, दिनांक 27/12/2014 द्वारा लौह–अयस्क खनिपट्टा क्षेत्र पर उत्खनन एवं भू–प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उ.ब.कांकेर के ज्ञापन क्रमाक 295/खनिज/ख.प., 2014 कांकेर, दिनांक 07/07/2018 द्वारा क्षेत्रफल 75 हेक्टेयर में से 12 हेक्टेयर क्षेत्र पर भू–प्रवेश एवं कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है।

6. समीपस्थ आबादी ग्राम–हाहालदद्दी 1.7 किलोमीटर एवं ग्राम–चचड 1.3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन भानुप्रतापपुर 30 किलोमीटर की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 58.5 किलोमीटर एवं राज्यमार्ग 18.5 किलोमीटर दूर है। खण्डी नदी 8.3 किलोमीटर दूर है। मिचगांव लोहत्तार आरक्षित वन लगा हुआ है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

8. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S No.	Land use Category	Land use (in hecater)
1.	Area Under Mine Pit	29.38
2.	Area Under Waste Dump	10.13
3.	Area for Mining - Road	2.70
4.	Afforestation	3.89
5.	Infrastructure	0.05
6.	Stock Yard	3.10
7.	Processing plant	0.19
8.	Area un-used	25.56
	Total	**75.0**

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 87 घनमीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती है। क्षमता विस्तार उपरांत जल की मात्रा कुल 400 घनमीटर प्रतिदिन (डस्ट सप्रेशन हेतु 83 घनमीटर प्रतिदिन, प्लांट 280 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू 17 घनमीटर प्रतिदिन एवं वृक्षारोपण हेतु 20 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति बोरवेल से किया जाना प्रस्तावित है। भू–जल जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – बेनिफिसीऐशन प्लांट से उत्पन्न दूषित जल 110 घनमीटर प्रतिदिन को थिकनर से रिसाईकलिंग किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल की मात्रा 14 घनमीटर प्रतिदिन है, जिसके उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण का प्रस्ताव किया गया है।

10. माईनेबल रिजर्व 5.396 मिलियन टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट फुल्सी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। बेंच की ऊंचाई 6 मीटर एवं चौड़ाई 12 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

विगत वर्षों की उत्खनन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वास्तविक उत्खनन (टन)
2014–15	96,000	85,930
2015–16	2,57,814	1,19,999
2016–17	4,99,012	2,49,998.8
2017–18	6,00,000	3,31,787.11
2018–19	6,00,000	5,30,300 (जनवरी, 2019)

आगामी वर्षों की उत्खनन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2019–20	8,00,000
2020–21	10,00,000
2021–22	10,00,000
2022–23	10,00,000
2023–24	10,00,000

11. आयरन ओर उत्पादन के लिए स्क्रीनिंग एवं क्रशिंग हेतु माईनिंग लीज एरिया के अतंर्गत स्क्रीन/क्रशर से परिवहन का कार्य किया जाता है। आयरन ओर को स्पंज आयरन प्लांट बोरझरा/ तिल्दा डिविजन तथा फाईन मटेरियल को पैलेट प्लांट तिल्दा को भेजा जाएगा।

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्षेत्रफल 3.89 हेक्टेयर में 2,500 नग वृक्षारोपण किया गया है।

13. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–हाहालद्दी एवं चघड़) का रकबा 75 हेक्टेयर है। अतः यह खदान बी–1 श्रेणी की है। यह प्रकरण खनन क्षमता विस्तार के अलावा न्यू आयरन ओर बेनिफिशिऐशन प्लांट (प्राइमरी ड्राई/वेट) क्षमता – 0.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष की स्थापना का है।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) एवं 2(बी) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स एवं मिनरल बेनीफिशिऐशन हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project Proponent shall submit the permission of DGMS for blasting.

iii. Project proponent shall submit compliance status of previous Environment Clearance from Regional office, MoEF & CC, Nagpur.

iv. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.

v. Project proponent shall submit NOC from Forest Department for Installation of New Iron Ore Benification Plant.

vi. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

vii. CER proposals with details of works and detail estimates.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 09/10/2019 को संपन्न 88वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती

11/10/19

का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक अपने पत्र दिनांक 09/10/2019 द्वारा अनुरोध किया गया है कि उनके द्वारा एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष टी.ओ.आर. हेतु प्रस्तुतीकरण में बताया गया था कि वर्ष 2016–17 (Winter season) में बेसलाईन डाटा एकत्रित किया जाकर तत्समय ई.आई.ए. रिर्पोट तैयार कर पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की गई थी। उक्त बेसलाईन डाटा को 03 वर्ष नहीं होने के कारण आवेदित प्रकरण पर पुनः बेसलाईन डाटा एकत्रित किए जाने से छुट दिए जाने का अनुरोध की गया था। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ द्वारा जारी कार्यवाही विवरण में उक्त अनुरोध को अमान्य किए जाने के संबंध में उल्लेख नहीं किया गया है। अतः प्रकरण पर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु वर्ष 2016–17 (Winter season) में लिए गए बेसलाईन डाटा को मान्य किए जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के परिपेक्ष्य में विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध पत्र को समिति के समक्ष विचार कर उपयुक्त अनुशंसा करने बाबत् प्रेषित किया जाए।

समिति की 296वीं बैठक दिनांक 10/10/2019:

परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध पत्र का समिति द्वारा का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रकरण पर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु वर्ष 2016–17 (Winter season) में लिए गए बेसलाईन डाटा को मान्य किए जाने का अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

1. ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु वर्ष 2016–17 (Winter season) में लिए गए बेसलाईन डाटा का उपयोग कर, तैयार फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट इस शर्त पर मान्य होगी कि जब बेसलाईन डाटा की अवधि को 03 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ हो तथा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ आवेदन उक्त अवधि के भीतर प्रस्तुत की गई हो।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) एवं 2(बी) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स एवं मिनरल बेनीफिशिऐशन हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project Proponent shall submit the permission of DGMS for blasting.
   ii. Project proponent shall submit compliance status of previous Environment Clearance from Regional office, MoEF & CC, Nagpur.
   iii. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.

iv. Project proponent shall submit NOC from Forest Department for Installation of New Iron Ore Benification Plant.

v. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

vi. CER proposals with details of works and detail estimates.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

11/10/19

(अरविन्द कुमार गौरहा)
अध्यक्ष
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ

श्री आनंद कुमार अग्रवाल (अधिमानी बोलीदार)
को खसरा क्रमांक 2742, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर, ग्राम–कुरूद, ग्राम पंचायत कुरूद (कुटेला), तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (छ.ग.) में महानदी से रेत उत्खनन क्षमता 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से एक वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकडों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट 1.5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा कि रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुनःभरण वर्षाकाल में होता है तथा रेत उत्खनन गतिविधीयों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पडता है। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नही होगी।
3. उत्खनन क्षेत्र 5 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
4. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार प्री–मानसून में (रेत उत्खनन उपरांत (माह मई अंत)) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2019, 2020, 2021 एवं प्री–मानसून के आंकडें अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।
5. पोस्ट–मानसून (Post-Monsoon) नदी में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेने एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को देने के उपरांत ही उत्खनन प्रारंभ किया जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देश दिनांक 24/12/2013 अनुसार रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा।

7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की उपरी सतह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नही किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोडा जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर अथवा नदी की चौडाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 200 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोडा जाना अनिवार्य है। उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 115 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा।

9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पडे।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

11. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

15. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2019–20 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,000 पौधों का रोपण नदी तट पर किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

11/10/19

16. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs.40.77	2%	Rs. 0.815	Following activities at Nearby Goverment School	
			Rain water harvesting	Rs. 0.815
			Total	**Rs. 0.815**

17. सी.ई.आर. **(Corporate Environment Responsibility)** का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।
18. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
19. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
20. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
21. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
22. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।
23. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
24. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी

11/10/19

निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

25. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

26. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

27. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

28. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

29. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

30. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण मे कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए.,

छत्तीसगढ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

31. छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

32. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

11/10/19

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

(अरविंदकुमार गोयल)